

To,

The Consultant (Judicial),

National Green Tribunal

Principal Bench

New Delhi,

dated: 21/01/2022

**Subject:** Action Taken Report in compliance of order dated 12.07.2021 in the matter of O.A. No : 165/2021 Girja Shankar Rai Vs. State of Uttar Pradesh and Ors.

Dear Sir,

A detailed Action Taken Report in the above-mentioned case is attached herewith.

  
(Dr. Rajneesh Dube)

Additional Chief Secretary,  
Department of Urban Development,  
Government of Uttar Pradesh,  
Lucknow.

**REPORT OF URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT,  
GOVERNMENT OF U.P. IN O.A. NO: 165 OF 2021 IN RE: GIRJA  
SHANKAR RAI VS. STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS**

It is submitted that Hon'ble Tribunal in its order dated 12.07.2021 in the said matter directed Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P. to be nodal agency for coordination and compliance regarding directions issued by the Hon'ble Tribunal.

In compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal, the Department of Urban Development, Govt. of U.P. has conducted regular review meetings through Video Conferencing with all the stake holders of the subject matter. The copies of the meeting notices are attached herewith as **Annexure-1**.

2. To ensure compliance in the above mentioned case, District Magistrate, Jhansi has formed a committee comprising 5 senior officials of concerning departments in the district [i.e. *Municipal Commissioner Jhansi along with Vice Chairman, Jhansi Development Authority, ADM (Finance & Revenue) District Jhansi, ADM (Judicial) District Jhansi and Regional Officer- Pollution Control Board, Jhansi Region*].

3. A detailed status report regarding compliances as sent by District Magistrate, Jhansi is attached herewith in **Annexure 2**.

4. Hon'ble Tribunal in its order dated 12.07.2021 ordered that  
*"The report may specify the status of preparation and execution of DEP, number of show cause notices issued and final action taken thereupon, the status of compliance of order of this Tribunal for protection of water bodies being ordered dated 18.11.2020 in O.A. No. 325/2015, Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi v. UOI such as demarcation of boundaries of Laxmi Tal, water quality, effectiveness of prevention of discharge and disposal of sewage and solid and other waste into Tal and in its catchment area, removal of encroachments, public awareness and integrated action plan for restoration within time frame."*

As per report of the District Magistrate, Jhansi a summary of action taken is as following:

	Issue	Status compliance as per DM Jhansi report <i>la</i>
1	<b>The Ground Survey and the Demarcation of Boundaries of Jhansi Laxmi Tal/ Identification and removal of the encroachments around it</b>	<p>According to the Land records available, the total area of Laxmi Tal is 33.068 Hectare or 82.22 Acres. While conducting the local survey on ground, no illegal construction or encroachment incidence were found to be going on except on Gata Number 1246, on which construction activity was being done illegally. This was not only stopped but also demolished by the concerned Municipal authorities.</p> <p>It is to be mentioned that the final demarcation of the area recorded under the Laxmi Tal is being done by the method of Total Station Survey, which is under progress.</p> <p>The Report dated 15-12-2021 submitted by VC, JDA states that a total of 170.48 Hectare of land area is reserved for the city park under the Master Plan 2021, near Laxmi Tal, which is situated in Mauja Pichore and Dadiapura. Out of</p>


	<p>170.48 Hectare Land, 44.78 Hectare land is government land on which the city park called Narayan Bagh is already developed and is encroachment free.</p> <p>The balance portion of 125.74 Hectare land is under the legal ownership of private individuals .As per survey report 101.40 Hectare land has the old Abadi/settlements, whereas approxing only 24.34 hectare land is still vacant.</p> <p>After the notification made for the master plan 2021 during the year 2017 to 2020, total 67 illegal constructions are reported and legal action by the Development Authority of Jhansi is being undertaken.</p> <p>To secure the land reserved for the city park, the government has issued various orders through Housing and Urban Planning Department, Section-3 on date 19.12.2018, 16.01.2019 and 19.02.2020 in the matter of OA. No. 380/2018 Park Avenue plot holders welfare society Vs Union of India &amp; Ors, Order dated - 19.12.2018 and the compliance is being ensured as under:</p> <p>A- Notice boards have been put up on site with the message to public not to buy land or do any construction activities on the said land which would be in contravention of master plan and land use.</p> <p>B- It has been requested to Stamp and Registry Department to mention land use of master plan in respective land and revenue records.</p> <p>C- The list of parks, Open area, Green Belt and Play grounds etc.</p>
--	--

		<p>proposed under the Master Plan-2021 of the Jhansi Development Authority has been made available to the Stamp and Registry Department to mention land use of respective "Gata Numbers" in the Land &amp; Revenue maps and upload the updated map on concerned website.</p> <p>D- The officials of Jhansi Development Authority are regularly visiting the concerned area to avoid any further illegal construction or other similar activities.</p>
2	<p><b>Water Quality of Laxmi Tal/ Prevention of Pollutants from entering into Laxmi Tal and it's Catchment Area.</b></p>	<p>It is submitted that to improve water quality of Laxmi Tal, coordinated efforts have been undertaken by U.P. Jal Nigam and Jal Sansthan of Jhansi. Under the National Lake Conservation Program, a STP of capacity 26 MLD and 03 Numbers of Sewage Pumping Stations have been established recently, which help in treatment of sewerage. As per reports, there is no untreated water being discharged into Laxmi Tal presently.</p> <p>Special arrangements have been done to ensure 100% door to door garbage collection in the catchment area of Laxmi Tal.</p>
3	<p><b>Public Awareness for Conservation of Laxmi Tal</b></p>	<p>For conservation of Laxmi Tal, Jhansi Development Authority and Municipal Corporation of Jhansi have jointly conducted several public awareness programmes. Institution like NCC have</p>

		<p>also been roped in for this initiative. All the motorized vehicles engaged in door-to-door collection and transportation of Garbage have been equipped with public address system/loudspeakers and are being used for the IEC Campaign with the message of segregation of waste at source and appeal to the public to cooperate with the authorities in the development and beautification of Laxmi Tal.</p>
4	<p><b>Restoration of Laxmi Tal</b></p>	<p>It is to submitted that the Laxmi Tal has its historical importance. Under Smart City Mission, Jhansi a project of Rupees 39.49 Crore has been prepared to further develop Laxmi Tal as a tourist spot with several development for restoring the scenic beauty of the Tal. Some of the features of project are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Beautification of the entrance gate of Laxmi Tal.</li> <li>B- Installation of the statue of Queen Laxmi Bai at Laxmi Tal.</li> <li>C- Cleaning and beautification of Laxmi Tal.</li> <li>D- Construction of Concrete drains around Laxmi Tal.</li> <li>E- Construction of well decorated</li> </ul>

		<p>walkways around Laxmi Tal.</p> <p>F- Construction of a new park in the side of Laxmi Temple . . .</p> <p>G- Selfie Point for the Tourists.</p> <p>H- Development of parking facilities for the Tourists.</p> <p>I- Establishment of food courts and Smart toilets.</p> <p>J- Development of boating facilities and jetty.</p>
5	<b>The preparation of the District Environmental Plan</b>	The District Environmental Plan has been prepared.

The report is being submitted for perusal please.

  
(Dr. Rajneesh Dube)

**Additional Chief Secretary,  
Department of Urban Development, Govt. of UP**

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-1611/नौ-7-2021-40(ज0)/2020

प्रेषक,

डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ०प्र०।
3. जिला मुख्यालय के समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2021

विषय: अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23.11.2021 को अपरान्ह 03:30 बजे आहूत विभागीय समीक्षा बैठक के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-11673/नौ-5-2021-224सा०/2018टी०सी०, दिनांक 16.11.2021 एवं पत्र संख्या-1599/नौ-7-2021-66(ज०)/2019, दिनांक 20.11.2021(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा सूचित किया गया है कि प्रदेश के नगरीय निकायों के नियंत्रणाधीन सड़कों को गढ़दामुक्त किये जाने के संबंध में की गयी कार्यवाही एवं नगरीय निकायों में निराश्रित एवं बेघरों हेतु निर्मित एवं संचालित रैन बसेरों के विषयगत की जा रही कार्यवाही की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2021 को अपरान्ह 03:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त नगरीय निकायों में चल रहे अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की जायेगी। उक्त बैठक का बैठक का एजेण्डा बिन्दु संलग्न है।

2. इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत बैठक में विचारणीय बिन्दुओं के दृष्टिगत सूचना शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

  
22. XI. 21  
(डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त सचिवगण, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिवगण, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत बैठक में विचारणीय बिन्दुओं के विषयगत समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध कराते हुये प्रश्नगत बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करे।
5. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया कृपया प्रश्नगत बैठक में सूडा द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन रैन बसेरों के विषयगत सूचना शासन को उपलब्ध कराते हुये प्रश्नगत बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करे।
6. मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया कृपया प्रश्नगत बैठक में स्मार्ट सिटीज के विषयगत विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध कराते हुये प्रश्नगत बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करे।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
8. डा० सुनील कुमार यादव, उप निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।

आज्ञा से,

 22.11.2021

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से दिनांक 23.11.2021 को अपरान्ह 03:30 बजे आहूत विभागीय समीक्षा बैठक का एजेण्डा बिन्दु।

1. प्रदेश के नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/जनपद मुख्यालय के नगर पंचायतों में गढ्ढामुक्त/रिनुवल/विशेष मरम्मत की प्रगति की समीक्षा।
2. स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चयनित सिटीज की लक्ष्य के अनुरूप भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
3. नगर निगमों के नव विस्तारित क्षेत्रों में निगम द्वारा कराये गये कार्यों- यथा सफाई एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, पथ प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, मार्गों के निर्माण (मरम्मत, इण्टरलॉकिंग, आदि) की समीक्षा।
4. 07 मिलियन प्लस सिटीज (कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज एवं गाजियाबाद) में 15वें वित्त आयोग की अगली किश्त अवमुक्त कराने हेतु पूर्व में प्राप्त धनराशि (वर्ष 2019-20 एवं 2020-21) के उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रेषण की स्थिति।
5. नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/जनपद मुख्यालय के नगर पंचायतों में शीत ऋतु के दृष्टिगत रैन बसेरों (स्थायी/अस्थायी) के संचालन एवं उनमें समस्त आवश्यक सुविधाओं- यथा पेयजल, बेड, कम्बल, शौचालय, स्नानघर, इत्यादि की स्थिति।  
सूडा के माध्यम से सी0एन0डी0एस0 द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में निर्माणाधीन रैन बसेरों की भौतिक प्रगति की समीक्षा।
6. एन0जी0टी0/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट /लिविड वेस्ट मैनेजमेन्ट के संबंध में दिये गये निर्देशों की अनुपालन की स्थिति।

**मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) में लम्बित वाद ओ०ए० सं०-165/2021 गिरजा शंकर राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के विषय में अपर मुख्य सचिव महोदय नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 22.11.2021 का कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

बैठक के आरम्भ में उपरोक्त वाद के बिन्दुओं के विषयगत समस्त अधिकारियों के साथ बिन्दुवार परिचर्चा एवं समीक्षा की गयी। बैठक में जनपद झांसी से जिलाधिकारी झांसी, नगर आयुक्त झांसी व प्राधिकरण के प्रतिनिधि को वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उपरोक्त वाद में मुख्यतः जो अद्यतन बिन्दु हैं उनमें जिलाधिकारी झांसी के स्तर पर समीक्षा एवं कार्यवाही कर आख्या शासन को प्रेषित की जानी थी, जिसके आधार पर शासन स्तर पर उपरोक्त का अनुश्रवण किया जाना था। इस विषय में तत्कालीन जिलाधिकारी झांसी द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 को नगर विकास विभाग को प्रेषित की गयी, जिसका परिशीलन भी किया गया और यह पाया गया कि जिलाधिकारी के स्तर पर जो समीक्षा की गयी है, उसमें वाद से संबंधित कई बिन्दुओं पर सम्यक् रूप से आख्या प्रेषित नहीं है।

एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सचिव नगर विकास द्वारा संबंधित अधिकारियों को एटीआर के प्रमुख बिन्दु इंगित किये गये, जो इस कार्यवृत्त की साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किये जा रहे हैं। समीक्षा उपरान्त सचिव नगर विकास द्वारा यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त एटीआर के बिन्दुओं पर जिलाधिकारी अपने स्तर से भलीभांति सभी स्टैक होल्डर्स के साथ कार्यवाही करते हुये बिन्दुवार एटीआर आगामी 07 दिवस में अवश्य शासन को प्रेषित कर दें, जिसके उपरान्त शासन स्तर पर उपरोक्त का परीक्षण कर तदनुसार मा० एनजीटी में आख्या प्रेषित की जायेगी।

अन्त में बैठक सृधन्यवाद समाप्त हुई।

  
अनुराग यादव  
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या:-11874 / नौ-5-2021-01रिट / 2019-टीसी  
लखनऊ: दिनांक 24 नवम्बर 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग को सादर अवलोकनार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- मण्डलायुक्त झांसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रकरण में कई वाद अतिक्रमण हटाये जाने विषयगत लंबित होना बताया गया है कृपया इस विषय में अपने स्तर से उपरोक्त का अनुश्रवण समयबद्ध रूप से अवश्य सुनिश्चित करें।
- 4- जिलाधिकारी झांसी, उ०प्र०।
- 5- नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
- 6- उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण।

  
(अनुराग यादव)  
सचिव

**JHANSHI: OA No. 165/2021 Order dated 12.07.2021  
(Next Hearing – 21/12/2021)**

**PART A**

Issues in Order	Compliance in ATR
1. Demarcation of boundaries of Jhansi Tal	-
2. Water Quality	-
3. Effectiveness of prevention of discharge and disposal of sewage and solid and other waste into Tal and in its catchment area	-
4. Removal of encroachments	Partial
5. Public Awareness	-
6. Integrated action plan for restoration within time frame	-

**District Environmental Plan (PART B)**

- i. Waste Management - Municipal Solid, Plastic, Bio Medical, Electric and Electronic, Hazardous and Construction and Demolition waste.
- ii. Sewage treatment and utilization .
- iii. Water quality – Rivers, Water bodies, Ground Water, Coastal waters and Rain water harvesting.
- iv. Industries Pollution Control including industrial clusters
- v. Air Quality management includes pollution due to dust
- vi. Regulating mining/ Sand mining
- vii. Noise pollution
- viii. Any other issues significant in the area
- ix. The DEP must give timelines for accomplishment of tasks backed up with budgetary support and the officers entrusted with the job, with contact details of the nodal officer at various levels in the District
- x. Scope for public participation on remedial measures like plantations
- DEPs The District Magistrates may accordingly execute the action plans by reviewing the progress on various targets at least once in a month.

**PART C : ALLGED COMPLAINT REGARDING ENCROACHMENT IN EARMARKED LAND FOR CITY PARK.**

बैठक दिनांक 27.12.2021 को अपरान्ह 04:00 बजे  
संख्या-12405/नौ-5-2021-54सा/2021

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 2-राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-राज्य मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-निदेशक, उ0प्र0 नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
- 5-अपर मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7-निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2021


विषय:- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2021 को अपरान्ह 04:00 बजे आहूत विभागीय एवं वित्तीय स्वीकृति की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2021 को अपरान्ह 04:00 बजे से नगरीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ में एक बैठक आहूत की गयी है, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी:-

- (1) सप्ताहिक स्टाफ/विभागीय समीक्षा।
  - (2) वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय स्वीकृति की समीक्षा।
  - (3) मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रत्यावेदन निस्तारण एवं अवमानना वाद के प्रकरणों की समीक्षा।
  - (4) दर्पण पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन किये जाने के संबंध में।
- 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तावित बैठक में समस्त सुसंगत अभिलेखों/सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

 24.12.2021


( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष महोदय के अवगतार्थ।
- 2-संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, नगर विकास अनुभाग-1, 2,3,4,6,7,8,9 एवं सूडा अनुभाग।

आज्ञा से,

 24.12.2021

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग/बैठक  
दिनांक 03.01.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे  
संख्या- 12509/नौ-5-2021-15रिट/2020

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

- 1-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 2-उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, झांसी एवं गाजियाबाद।
- 3-जिलाधिकारी, झांसी एवं गाजियाबाद।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, झांसी, गाजियाबाद।
- 5-अपर मिशन निदेशक, एस0बी0एम0-नगरीय, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 6-मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक-29 दिसम्बर, 2021

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन M.A. No. 61/2021 IN O.A No-588/2019 Hem Singh Yog, Social Worker, Pt. Deendayal Upadhyay Vichar Manch vs State of Uttar Pradesh, ओ0ए0 संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ओ0ए0 संख्या-909/2018, कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांस हिण्डन आर0डब्ल्यू0ए0 गाजियाबाद बनाम यू0पी0 स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा हेतु आहूत वीडियो कान्फ्रेंसिंग/बैठक के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन M.A. No. 61/2021 IN O.A No-588/2019 Hem Singh Yog, Social Worker, Pt. Deendayal Upadhyay Vichar Manch vs State of Uttar Pradesh, ओ0ए0 संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ओ0ए0 संख्या-909/2018, कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांस हिण्डन आर0डब्ल्यू0ए0 गाजियाबाद बनाम यू0पी0 स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे से नगरीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ में एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग/बैठक आहूत की गयी है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तावित वीडियो कान्फ्रेंसिंग/बैठक में समस्त सुसंगत अभिलेखों/सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग का लिंक निम्नवत् है:-

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/7788956110?pwd=Zy9rcFM5Qk11c1hUV25aV1hTT3NtZz09>

Meeting ID: 778 895 6110

Passcode: 987645

भवदीय  
29.12.2021  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:-

- 1-निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
- 2-निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सचिव महोदय को उपर्युक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु अवगतार्थ प्रेषित।
- 3-डॉ0 सुनील यादव, उप निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ (मो0नं0-9453014733) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा/से,  
29.12.2021  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध / संशोधित  
संख्या- 31(2) / नौ-7-2022-40(ज) / 2020

प्रेषक,

बृजेन्द्र सिंह,  
उप सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(रूड) उ०प्र०।
3. मिशन निदेशक, रगार्ट शिटी, उ०प्र०।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
5. अपर मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ०प्र०।
6. मिशन अमृत के अंतर्गत चयनित, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारीगण।
7. अमृत निकायों के अतिरिक्त जनपद मुख्यालय की नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 08 जनवरी, 2022

विषय: अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 10.01.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आहूत विभागीय समीक्षा बैठक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-31/नौ-7-2022-40(ज)/2020 दिनांक 07.01.2021 तथा संख्या-31(1)/नौ-7-2022-40(ज)/2020 दिनांक 08.01.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10.01.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त नगर आयुक्तगण नगर निगम, उत्तर प्रदेश एवं मिशन अमृत के अंतर्गत चयनित नगरपालिका परिषदों तथा जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में विचारणीय बिन्दुओं में कतिपय संशोधन किया गया है। बैठक का संशोधित एजेण्डा बिन्दु संलग्न है। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु लिंक एवं पास-कोड पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत बैठक में विचारणीय बिन्दुओं के दृष्टिगत सूचना निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को आज ही उपलब्ध कराते हुये सुसंगत सूचनाओं सहित उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा उक्त सूचना सफलित कर प्रश्नगत बैठक में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

महोदय  
(बृजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन एवं अपर मुख्य सचिव महोदय को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त सचिवगण, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिवगण, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. डा० सुनील कुमार यादव, उप निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु समस्त संबंधित को लिंक एवं पास-कोड उपलब्ध कराने के विषयगत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
(बृजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव।

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 10.01.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आहूत विभागीय समीक्षा बैठक का संशोधित एजेण्डा बिन्दु।

### 1. कोविड-19

- फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण (प्रथम/द्वितीय/बूस्टर डोज) की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।
- निगरानी समितियों की क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति -
  - समितियों द्वारा भ्रमण किये गये घरों की संख्या।
  - होम आइसोलेशन में कोविड-19 के मरीजों की संख्या।
  - अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों की संख्या।
  - राजस्व विभाग के संगत शासनादेशों के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित निराश्रित एवं साधनहीन व्यक्ति/परिवार को भोजन सामग्री अथवा भोजन की व्यवस्था किये जाने की स्थिति।
  - निगरानी समिति के क्षेत्र/वार्ड में टीकाकरण (प्रथम/द्वितीय डोज) की स्थिति।
  - टीकाकरण से छूटे लोगों को टीकाकरण कराये जाने की स्थिति।

#### स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन

- शनिवार, रविवार एवं सोमवार को चलाये जा रहे विशेष सफाई अभियान की स्थिति।
- सेनेटाईजेशन की स्थिति।

### 2. शीत ऋतु (शीत लहर) के दृष्टिगत की जा रही कार्यवाही

- स्थायी रैन बसेरों के निर्माण की स्थिति।
- रैन बसेरों (स्थायी/अस्थायी) की संख्या एवं उनमें प्रतिदिन/कमिक रूप से निवास करने वाले लोगों की संख्या।
- रैन बसेरों (स्थायी/अस्थायी) में प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति।
- अलाव (स्थान, प्रतिदिन/कमिक, जलावन लकड़ी) की स्थिति।

### 3. निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण के संबंध में की जा रही कार्यवाही

- अस्थायी/स्थायी कान्हा गोशाला/पशु शेल्टर होम में संरक्षित गोवंश की स्थिति-
  - निकायों में छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौ-आश्रय स्थलों पर रखे जाने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान की स्थिति।
  - संरक्षित गोवंशों की संख्या।
  - भरण-पोषण (चारा-भूसा) की स्थिति।
  - शीत ऋतु में ठण्ड से बचाव के उपाय एवं उपचार की व्यवस्था।

### 4. केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान

- 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जा रहे चालू कार्यों की स्थिति।
- Air Quality Improvement के लिए 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Performance Assessment Report दिनांक 10.01.2022 तक उपलब्ध कराने तथा दिनांक 12.01.2022 को उक्त रिपोर्ट के साथ अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में प्रतिभाग करने के संबंध में।

5. अन्य विषय अपर मुख्य सचिव, महोदय की अनुमति से।

6- मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) के आदेशों के अनुपालन में की जा रही कार्यवाही (Bioremediation status सहित) की अद्यतन रिपोर्ट विशेषकर गाजिमाबाद/मथुरा/मंसा/गोरखपुर/अमोदमा/लखनऊ के मा० NGT में लंबित वादों विषयक।

**कोविड-19 एवं शीत लहर के दृष्टिगत नगरीय निकायों में की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10.01.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त**

उपस्थिति:-

- श्री अनिल कुमार- I.I., सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग।
- श्री अनुराग थादव, सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग।
- श्रीमती शकुन्तला गौतम, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय।
- डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, विशेष सचिव, उ०प्र० शासन/मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन निदेशालय
- नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश। (वर्चुअल माध्यम से)
- श्रीमती रश्मि सिंह, उपनिदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय।
- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक (प०क०)
- श्री उपेन्द्र तिवारी, सहायक निदेशक (लेखा)।
- श्री सुनील थादव, उ०प. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय।
- मिशन अमृत के अन्तर्गत चयनित नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारीगण एवं जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण। (वर्चुअल माध्यम से)
- श्री मनीष कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (सम्बद्ध मुख्यालय)।

बैठक में अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा बैठक के विचारार्थ बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए निम्नांकित निर्देश निर्गत किये गये:-

**1. कोविड-19 के दृष्टिगत टीकाकरण/फ्रन्ट लाइन वर्क्स/कर्मचारियों को प्रथम/द्वितीय/ Precaution dose**

- (1) समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2022 तक फ्रन्ट लाइन वर्क्स/कर्मचारियों को द्वितीय डोज लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (2) फ्रन्टलाइन वर्क्स को Precaution dose से आच्छादित किये जाने हेतु चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-06/2022/50/ पॉच-9-2022, दिनांक 10.01.2022 द्वारा दी गयी व्यवस्थानुसार अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- (3) मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से चिकित्सा विभाग उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 17.05.2020 द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही टीकाकरण के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया जाय।
- (4) मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये 15.01.2022 तक निकाय के पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण का द्वितीय डोज शत-प्रतिशत लगवाया जाने हेतु लोगों को संवेदित किया जाय।
- (5) मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण हेतु संबंधित परिवार को संवेदित किया जाय तथा उक्त हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये माइको एक्शन प्लान के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

-2-

(6) माघ मेला एवं मकर सक्रांति के अवसर पर निकायों में आयोजित होने वाले मेलों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(7) स्थानीय निकायों में कोविड-19 हेल्प डेस्क को पुनः सुचारू रूप से संचालित किया जाय। उक्त हेतु निकाय के सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाय, जहाँ सेनेटाइजर, पल्स आक्सीमीटर, इन्फारेड थर्मामीटर एवं अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। कार्यालय में आने वाले लोगों का **Thermal Scanner** से जाँच कर उनका विवरण रजिस्टर में नोट किया जाय तथा यदि किसी में कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित हों तो उसकी सूचना कोविड-19 हेतु जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम को तत्काल दें।

(8) कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा जन जागरूकता हेतु उपलब्ध करायी गयी **IEC** कन्टेन्ट्स के अनुरूप कोरोना वायरस के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु तथा टीकाकरण हेतु आम जनमानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाये। इस हेतु निकायों के मुख्य बाजारों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, इत्यादि पर लगाये गये स्थायी पी0ए0 सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जनसामान्य को जागरूक किया जाय।

(9) कोविड-19 के संक्रमण के बचाव, टीकाकरण के प्रचार-प्रसार हेतु मोबाइल पी0ए0 सिस्टम को भी पुनः कियाशील किया जाय। उक्त हेतु निकाय के कूड़ा उठान वाली गाड़ियों में भी 1-2 मिनट का रीपिटेड, रिकार्डेड जिंगल्स द्वारा उद्घोषणा की जाये।

## 2. मोहल्ला निगरानी समितियाँ:-

(1) यह अत्यावश्यक बिन्दु है कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के अनुसार स्थानीय पार्षद/सभासद के नेतृत्व में गठित मोहल्ला निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय किया जाय।

उक्त हेतु अतिशीघ्र नगर प्रमुख, महापौर/अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करते हुये निकाय के पार्षदगण/सभासदगण के साथ बैठक कर सभी को **Sensitise** कर दी जाये।

(2) मोहल्ला निगरानी समिति को पूर्व में पल्स ऑक्सीमीटर एवं इन्फारेड थर्मामीटर उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में मोहल्ला निगरानी समितियों को आवश्यकतानुसार पल्स ऑक्सीमीटर एवं इन्फारेड थर्मामीटर के साथ-साथ एन-95 मास्क, सेनेटाइजर, इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाय।

(3) मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा रूट चार्ट/माइक्रोप्लान बनाकर वार्ड के प्रत्येक घरों का निरीक्षण किया जाय। उक्त के दौरान कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों/संक्रमित व्यक्तियों की टेस्टिंग/मेडिकल किट, इत्यादि की सुविधा स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर उपलब्ध करायी जाय तथा संक्रमित व्यक्तियों के घरों के आगे फ्लायर चस्पा किया जाय।

(4) मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के निराश्रित एवं साधनहीन होने की दशा में राजस्व विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अधीन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुये उन्हें भोजन सामग्री/भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) मोहल्लों में टीकाकरण से छूटे हुए व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र निकटवर्ती केन्द्र पर वैक्सीनेशन हेतु जाने के लिए प्रेरित किया जाये तथा ICCC/CMO को भी उपर्युक्त की सूचना प्रेषित की जाये।

(6) सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिये गठित मोहल्ला निगरानी समिति के द्वारा दिये जाने वाले फीडबैक का प्रतिदिन अनुश्रवण करने हेतु प्रत्येक निकाय में नोडल अधिकारी नामित किया जाय। जिनके द्वारा प्रस्तुत दैनिक आख्या का नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी द्वारा स्वयं अनुश्रवण किया जाय।

(7) नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी द्वारा मोहल्ला निगरानी समिति के द्वारा दिये जाने वाले फीडबैक के संबंध में मोहल्ला निगरानी समिति, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

### 3. स्वच्छता व सेनेटाइजेशन

(1) शासन के पत्र संख्या-533/नौ-7-2021, दिनांक 16.04.2021 एवं पत्र संख्या-527/नौ-7-2021-11(ज)/2020, दिनांक 07.04.2021 द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत नगरीय निकायों में साफ-सफाई एवं विसंक्रमण की कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा निर्धारित प्रारूपों पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को आख्या भी उपलब्ध करायी जाये।

(2) निकायों में मुख्य बाजार, घनी बस्ती, इत्यादि को चिन्हित कर साफ-सफाई व्यवस्था हेतु प्रत्येक सप्ताह शनिवार, रविवार एवं सोमवार को व्यापार मण्डल, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, मोहल्ला निगरानी समिति के सहयोग से माइक्रोप्लान बनाकर विशेष अभियान चलाया जाय। सफाई के दौरान एकत्र किये गये कूड़े को उसी समय सेनेट्री लैण्ड फिल साईट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाय। उक्त हेतु नगर निकायों में कंट्रोल रूम भी बनाया जाय।

(3) निकायों में सेनेटाइजेशन हेतु निम्न प्रकार की रणनीति बनाते हुये कार्यवाही की जाय:-

- प्रत्येक वार्ड को सघन रूप से माइक्रोप्लान बनाते हुये सेनेटाइज किया जाय।
- प्रत्येक सप्ताह शनिवार, रविवार तथा सोमवार को चलाये जा रहे विशेष सफाई अभियान दिवस में मुख्य बाजारों, सार्वजनिक भवनों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों को सेनेटाइज किया जाय।
- निकाय में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के घरों/गलियों/गार्डों को चिन्हित कर उनमें सेनेटाइजेशन का सघन अभियान चलाया जाय तथा कंटेनमेंट जोन एवं गम्भीर संक्रमण वाले क्षेत्रों में भवन स्वामी की सम्मति से कोविड-19 से संक्रमित होम आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों के घरों को भी सेनेटाइज किया जाय।
- सेनेटाइजेशन टीम का भ्रमण कार्यक्रम बनाकर मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाये।

### 4. शीत ऋतु के दृष्टिगत रैन-बसेरों एवं अलाव की व्यवस्था किये जाने के संबंध में

(1) प्रदेश के समस्त मिलियन प्लस शहरों में न्यूनतम 2000 व्यक्तियों अथवा आवश्यकता के अनुसार इससे अधिक की क्षमता के स्थाई/अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की जाये।

(2) नगर निगम लखनऊ में जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सूची के अनुसार अतिरिक्त अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण अविलम्ब करायी जाये।

- (3) नगर निगम अलीगढ़/गोरखपुर/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर व झांसी में न्यूनतम 1000 व्यक्तियों अथवा आवश्यकता के अनुसार इससे अधिक की क्षमता के स्थाई/अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था अविलम्ब करायी जाये।
- (4) नगर निगम मथुरा-वृन्दावन व नगर निगम, फिरोजाबाद में न्यूनतम 600 व्यक्तियों व नगर निगम, अयोध्या एवं नगर निगम, शाहजहाँपुर, न्यूनतम 400 व्यक्तियों अथवा आवश्यकता के अनुसार इससे अधिक की क्षमता के स्थाई व अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था अविलम्ब करायी जाये।
- (5) पूर्व से स्थापित स्थाई व अस्थायी रैन बसेरों के अतिरिक्त नये रैन बसेरों का निर्माण आवश्यकता वाले स्थानों यथा-रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, लेबर अड्डा, मन्दिर, बाजार आदि पर कराया जाये।
- (6) समस्त रैन बसेरों में पीने योग्य पानी की समुचित जलापूर्ति, प्रकाश, बिस्तर व कम्बल आदि तथा नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
- (7) रैन बसेरों व शेल्टर होम में महिलाओं हेतु पृथक से महिला कक्षों की व्यवस्था की जाये एवं इनमें सी0सी0टी0वी0 व इनकी सुरक्षा के व्यापक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित करायी जाये।
- (8) समस्त स्थानीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोये।
- (9) रैन बसेरों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कराते हुये नियमित रूप से सेनेटाइजेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- (10) रैन बसेरों में आश्रय प्राप्त व्यक्तियों की नियमित जाँच करायी जाय तथा कोविड-19 से संक्रमित होने की दशा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये उनके उपचार, भोजन, इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- (11) शीत ऋतु के दृष्टिगत मुख्य बाजार के चौराहों पर अस्पताल, बस स्टेशन, रेल स्टेशन, इत्यादि स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाय।
- (12) नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी द्वारा स्वयं रात्रि में मौके का मुआयना कर उपर्युक्त व्यवस्था को सुनिश्चित की जाये।

#### 5. निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण

- (1) दिनांक 11.01.2022 से दिनांक 13.01.2022 तक विशेष अभियान चलाकर निकायों में भ्रमण कर रहे निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पकड़कर कान्हा गौशाला/ पशु आश्रय स्थलों में रखा जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि नगर में कोई भी छुट्टा/बेसहारा पशु सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर दिखाई न दें। उक्त हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार अस्थायी पशु आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा सकता है।
- (2) कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थलो में रखे गये गोवंशों के भरण-पोषण, संरक्षण तथा शीत ऋतु के दृष्टिगत नियमानुसार बचाव एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा इस निमित्त नोडल अधिकारी नामित किये जायें।
- (3) समस्त नगर आयुक्त व अधिसासी अधिकारियों द्वारा यदि आवश्यक हो तो कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थलों में रखे गये गोवंशों के भूसे-चारे हेतु धनराशि की मांग वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये एवं निदेशक, स्थानीय

निकाय निदेशालय द्वारा उक्त मांगों को संकलित कर शासन को उपलब्ध करायी जाये जिससे उक्त हेतु आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग कराया जा सके।

#### 6. केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान

- (1) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से प्रस्तावित कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन समस्त नगर आयुक्तगण द्वारा सुनिश्चित करायी जाये।
- (2) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आगरा की धीमी प्रगति के लिए महाप्रबन्धक (जलकल) का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।
- (3) Air Quality Improvement के लिए 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में विभिन्न शहरों द्वारा Performance Assessment Report न उपलब्ध कराये जाने व विभिन्न शहरों द्वारा गलत प्रारूप पर सूचना प्रेषित किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी एवं प्रयागराज की प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार ही अविलम्ब सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये।
- (4) Performance Assessment Report तैयार किये जाने में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

#### 7. एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की स्थिति:

- (1) मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित वादों की प्रभावी पैरवी के दृष्टिगत समस्त सम्बंधित नगर निकायों द्वारा यथाशीघ्र आवश्यक अद्यतन सूचनायें प्रेषित की जाये।
- (2) मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेशों के अनुपालन में समस्त सम्बंधित नगरीय निकायों द्वारा लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाये।
- (3) नगर निगम लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि घैला में डम्प लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य प्रगति पर है, जो माह जून 2022 तक पूर्ण हो जायेगा एवं शिवरी डम्प साइड पर एकत्रित लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी थी, जिसमें एकमात्र अर्ह निविदा प्राप्त होने के क्रम में पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है। कार्य की महत्ता के दृष्टिगत चुनाव आयोग की अनुमति प्राप्त की जाये एवं शीघ्र ही लिगेसी वेस्ट का निस्तारण कराया जाये।
- (4) लक्ष्मीताल के सम्बंध में नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी द्वारा एस0टी0पी0 की क्रियाशीलता व शोधित किये जा रहे जल की गुणवत्ता के सम्बंध में रैण्डम चेकिंग उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करायी जाये एवं इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाये।

8. कोविड-19 के दृष्टिगत चलाये जा रहे विशेष सफाई अभियान, सेनेटाइजेशन की कार्यवाही, टीकाकरण एवं शीत ऋतु के दृष्टिगत रैन बसेरो व अलाव की व्यवस्था किये जाने तथा निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण एवं संरक्षण के संबंध में की जा रही कार्यवाही की सूचना निकायों द्वारा निर्धारित 05 प्रारूपों पर प्रति दिन गूगल लिंक के माध्यम से तथा प्रत्येक सोमवार को उक्त कार्यवाही की नगर आयुक्त/अधिकांसी अधिकारी से हस्ताक्षरित सप्ताहिक रिपोर्ट निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा निकायों में उपर्युक्तानुसार की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण करने के साथ ही उक्त की सूचना संकलित कर प्रतिदिन शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रश्नगत प्रकरणों के विषयगत प्रत्येक सोमवार को समीक्षा बैठक आहूत की जायेगी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।

- 6 -

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-7  
संख्या- 46/नौ-7-2022-40(ज)/2020टी.सी.  
लखनऊ, दिनांक- 13, जनवरी, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त सचिवगण, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिवगण, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ।
4. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ०प्र०।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अधिकरण (सूडा), उ०प्र०।
7. मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ०प्र०।
8. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
9. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

**विभागीय समीक्षा बैठक / वीडियो कॉन्फेसिंग**

**दिनांक 17.01.2022 अपराह्न 04.00 बजे से**

**महत्वपूर्ण / समयबद्ध**

**संख्या- 51./नौ-7-2022-40(ज)/2020 टी.सी.**

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा) उ0प्र0।
3. मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. अपर मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0।
6. मिशन अमृत के अंतर्गत चयनित, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारीगण।
7. अमृत निकायों के अतिरिक्त जनपद मुख्यालय की नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।

**नगर विकास अनुभाग-7**

**लखनऊ : दिनांक : 14 जनवरी, 2022**

**विषय:** अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से दिनांक 17.01.2022 को अपराह्न 04.00 बजे आहूत विभागीय समीक्षा बैठक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2022 को अपराह्न 04.00 बजे से वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से समस्त नगर आयुक्तगण नगर निगम, उत्तर प्रदेश एवं मिशन अमृत के अंतर्गत चयनित नगरपालिका परिषदों तथा जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक का एजेण्डा बिन्दु संलग्न है। उक्त वीडियो कॉन्फेसिंग हेतु लिंक एवं पास-कोड पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत बैठक में विचारणीय बिन्दुओं के दृष्टिगत सूचना निर्धारित प्रारूप पर स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये सुसंगत सूचनाओं सहित उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

**संलग्नक: यथोक्त।**

भवदीय,  
14.01.2022  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त सचिवगण, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिवगण, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अनु सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
5. अनुभाग अधिकारी, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
4. डा0 सुनील कुमार यादव, उप निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वीडियो कॉन्फेसिंग हेतु समस्त संबंधित को लिंक एवं पास-कोड उपलब्ध कराने के विषयगत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से  
14.01.2022  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 17.01.2022 को अपराह्न 04.00 बजे आहूत विभागीय समीक्षा बैठक का एजेण्डा बिन्दु।

1. कोविड-19

- फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण (प्रथम/द्वितीय/precaution dose) की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।
- निगरानी समितियों की क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति -
  - समितियों द्वारा भ्रमण किये गये घरों की संख्या।
  - होम आइसोलेशन में कोविड-19 के मरीजों की संख्या।
  - राजस्व विभाग के संगत शासनादेशों के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित निराश्रित एवं साधनहीन व्यक्ति/परिवार को भोजन सामग्री अथवा भोजन की व्यवस्था किये जाने की स्थिति।
  - निगरानी समिति द्वारा क्षेत्र/वार्ड में टीकाकरण (प्रथम/द्वितीय डोज/precaution dose) हेतु लोगों को संवेदीकरण किये जाने की स्थिति।
  - निगरानी समिति द्वारा टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर उन्हें टीकाकरण हेतु संवेदीकृत किये जाने की स्थिति।

स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन

- शनिवार, रविवार एवं सोमवार को चलाये जा रहे विशेष सफाई अभियान की स्थिति।
- सेनेटाईजेशन की स्थिति।

2. शीत ऋतु (शीत लहर) के दृष्टिगत की जा रही कार्यवाही

- स्थायी रैन बसेरों के निर्माण की स्थिति।
- रैन बसेरों (स्थायी/अस्थायी) की संख्या एवं उनमें प्रतिदिन/कमिक रूप से निवास करने वाले लोगों की संख्या।
- रैन बसेरों (स्थायी/अस्थायी) में प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति।
- अलाव (स्थान, प्रतिदिन/कमिक, जलावन लकड़ी) की स्थिति।

3. निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण के संबंध में की जा रही कार्यवाही

- अस्थायी/स्थायी कान्हा गोशाला/पशु शेल्टर होम में संरक्षित गोवंश की स्थिति।
- निकायों में छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौ-आश्रय स्थलों पर रखे जाने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान की स्थिति।
- संरक्षित गोवंशों की संख्या।
- भरण-पोषण (चारा-भूसा) की स्थिति।
- शीत ऋतु में ठण्ड से बचाव के उपाय एवं उपचार की व्यवस्था।

4. केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान

- 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जा रहे चालू कार्यों की स्थिति।
- 14 वें वित्त आयोग में अवशेष धनराशि की स्थिति एवं उसके उपयोग न होने के कारण।

5. मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) के आदेशों के अनुपालन में की जा रही कार्यवाही (बायोरिमिडेशन स्टेटस सहित) की अद्यतन स्थिति विशेषकर गाजियाबाद/मथुरा/झोंसी/गोरखपुर/अयोध्या/लखनऊ में लम्बित वादों के संबंध में।

6. अन्य विषय अपर मुख्य सचिव, महोदय की अनुमति से।

 14.01.2022

प्रेषक

जिलाधिकारी  
झाँसी।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
नगर विकास विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्रांक 198 /स्था.नि.लि./2021

दिनांक: दिसम्बर, 16 2021

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा ओ.ए.संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन के क्रम में स्थलीय आख्या (Status Report) को प्रेषित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि झाँसी नगर के अन्तर्गत स्थित लक्ष्मीताल एवं उसके समीपवर्ती नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में मा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, द्वारा ओ.ए. संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी झाँसी के स्तर से स्थलीय आख्या (Status Report) प्रस्तुत की जानी है।

मा.न्यायाधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में समन्वय एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव नगर विकास को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है तथा जिलाधिकारी से अपेक्षा की गई है कि जिलाधिकारी स्थानीय सदस्यों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर सचिव, नगर विकास को समेकित कार्यवाही हेतु आख्या प्रस्तुत करेंगे। यह भी अपेक्षा की गई है कि इस सम्बन्ध में दो माह के अन्दर स्थलीय आख्या (Status Report) मा.न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें लक्ष्मीताल की भूमि के सीमांकन के उपरान्त उसके संरक्षण तथा उसमें प्रदूषित पदार्थों को गिरने से रोकने जल की शुद्धता इत्यादि सम्बन्ध में मा.न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

मा.न्यायाधिकरण के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय समिति गठित की गई जिनके द्वारा स्थलीय भ्रमण एवं परीक्षण के पश्चात् आख्या प्रेषित की गयी जो तत्कालीन जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा दिनांक 22.10.2021 को प्रेषित की गई। पुनः आपकी अध्यक्षता में 22.11.2021 को हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुनः स्थलीय भ्रमण कर निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई है-

- 1-झाँसी लक्ष्मी तालाब की सीमाओं का निर्धारण/चिन्हांकन(पूर्व में राजस्व टीम द्वारा सीमांकन किया गया था, लक्ष्मी तालाब चारों तरफ आबादी से घिरा है, अतः टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से सीमांकन कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रेषित कर दी जायेगी।) एवं अनाधिकृत कब्जों को हटाया जाना। (आख्या संलग्न है।)
- 2-लक्ष्मी तालाब के जल की शुद्धता/प्रदूषित पदार्थों आदि को लक्ष्मी तालाब में जाने से रोकना सुनिश्चित किया जाना।(आख्या संलग्न है।)
- 3-लक्ष्मी तालाब में एवं उसके कैचमेण्ट एरिया में सीवेज/सॉलिड वेस्ट तथा अन्य वेस्टेज को जाने से रोकना।(आख्या संलग्न है।)
- 4-लक्ष्मी तालाब को संरक्षित करने हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाना।(आख्या संलग्न है।)
- 5-लक्ष्मी तालाब को मूलस्वरूप में निर्धारित समय के अन्तर्गत लाने हेतु समेकित कार्य योजना तैयार करना।(आख्या संलग्न है।)

उपरोक्त ओ.ए.संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम् उ.प्र. राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.12.2021 मा.न्यायाधिकरण में सुनवाई हेतु नियत है।

मा.न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुक्रम में समिति की अद्यतन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस सम्बन्ध में न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में यथापेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:

1. ओ.ए.संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 की प्रति।
2. नगर आयुक्त, झाँसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अद्यतन स्थलीय आख्या।

भवदीय,

  
(रविन्द्र कुमार)  
जिलाधिकारी,  
झाँसी

जिलाधिकारी,  
झाँसी।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम् उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन के क्रम में अद्यतन स्थलीय आख्या (Status Report) को प्रेषित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि झाँसी नगर के अन्तर्गत स्थित लक्ष्मी ताल एवं उसके समीपवर्ती नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम् उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन में निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2021 के द्वारा निम्नवत् समिति गठित की गयी है:-

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
2. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
3. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व झाँसी।
4. अपर जिलाधिकारी, न्यायिक झाँसी।
5. क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी झाँसी या उनके द्वारा नामित सदस्य।

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठकें आहूत की गई। समिति द्वारा लक्ष्मीताल की भूमि को संरक्षित करने व मूलस्वरूप में पुनः स्थापित करने हेतु की गई कार्यवाही के अनुसार वांछित बिन्दुओं पर आख्या दिनांक 22.10.2021 को प्रेषित की जा चुकी है एवं उक्त के सन्दर्भ में दिनांक 22.11.2021 को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई वीडियो कान्फ्रेंस में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 23.11.2021 को आपकी अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशानुसार समिति की अद्यतन अख्या निम्नवत् है:-


झाँसी लक्ष्मी तालाब की सीमाओं का निर्धारण/चिन्हांकन एवं अनाधिकृत कब्जों को हटाया जाना-

राजस्व अभिलेखों के अनुसार लक्ष्मी तालाब का कुल क्षेत्रफल कुल 60 किता रकवा 33.068 हे0/ 82.22 एकड़ है। इस भूमि की मौके पर पैमाईश करायी गई जिसमें से गाटा सं0 1246 को छोड़कर अन्य किसी भी गाटा नं0 में अवैध कब्जा नहीं पाया गया। भूमि मौके पर रिक्त है। गाटा सं0 1246 में एक मकान श्री मंगलदास रायकवार द्वारा निर्मित किया जा रहा था, जिसे नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा मौके पर ध्वस्त कर दिया गया है। अन्य 02 मकान श्री मनीराम पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार व श्री जितेन्द्र रायकवार पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार निवासी ढिमरयाना डडियापुरा झाँसी के द्वारा मौके पर बने हुए पाये गये हैं। श्री मनीराम का मकान लगभग 200 वर्गफुट में बना है जो काफी पुराना है एवं श्री जितेन्द्र रायकवार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 100 वर्गफुट में मकान माह अप्रैल, मई 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बनाया गया है इन दोनों अतिक्रमणकर्ताओं को अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये गये हैं। इन नोटिसों को आधार मानकर श्री मनीराम व जितेन्द्र उपरोक्त द्वारा मा0 उच्चन्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिकायें योजित की गई हैं जो विचाराधीन है। दोनों याचिकाओं में नगर निगम की ओर से प्रभावी पैरवी एवं प्रतिवाद किया जा रहा है। शीघ्र ही इन अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा लक्ष्मी तालाब की भूमि में दो सार्वजनिक पुराने मन्दिर(लगभग 650 वर्गफुट) बने हुये हैं। जिनको हटाया जाना कानून व्यवस्था की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। उक्त दो मकान व दो सार्वजनिक पुराने मन्दिर के अलावा अन्य कोई अतिक्रमण लक्ष्मी तालाब की भूमि पर नहीं पाया गया है। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी ताल पूर्णतः आबादी से चारों तरफ घिरा हुआ है। अतः लक्ष्मी ताल के समस्त रकवों का सीमांकन टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से किया जा रहा है जो कि प्रक्रियाधीन है।

(1)

← 





इसी सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण (जांच समिति के सदस्य) द्वारा पृथक अद्यतन आख्या उपलब्ध कराई गयी है। उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी द्वारा अद्यतन आख्या दिनांक 15.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क हेतु महायोजना 2021 में आरक्षित भूमि का रकवा 170.48 हे० है, जो मौजा पिछोर एवं डडियापुरा में स्थित है आरक्षित भूमि में 44.74 हे० शासकीय भूमि है इस पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क पूर्व से विकसित है जो कि अतिक्रमणमुक्त है। आरक्षित भूमि में 125.74 हे० भूमि निजी काश्तकारों की है। उक्त के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में निजी काश्तकारों की 125.74 हे० भूमि घनाभाव के कारण अभी तक अधिग्रहित नहीं की गई है एवं उक्त जमीन वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में उन्हीं निजी काश्तकारों के नाम दर्ज हैं। जिनमें से प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार लगभग 101.40 हे० पुरानी आबादी में बनी है तथा कुछ नवीन अनाधिकृत निर्माण हुआ है। मौके पर 24.34 हे० भूमि अभी रिक्त है। उक्त निजी काश्तकारों की भूमि झाँसी नगर की आबादी के अन्दर स्थित है तथा उन्हें नगर निगम एवं विद्युत विभाग से अधिकांश अवस्थापनायें यथा सड़क, विद्युतिकरण, सफाई की सुविधा प्राप्त हो गई है।

यह उल्लेखनीय है कि उन निजी काश्तकारों की भूमि महायोजना-2021 की विज्ञप्ति करने के बाद से वर्ष 2017 से 2020 के मध्य कुल 67 अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई जिनमें से अधिकांश निर्माण छोटे-छोटे आवासीय भवन हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े एवं मध्यम परिवार के हैं। फिर भी उक्त प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन 1973 की धारा 27 एवं 28 के माध्यम से निर्माण रोकने के आदेश पारित किये गये तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये सभी 67 प्रकरणों में सक्षम स्तर से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये। जिनमें से 34 प्रकरण अपीलिय अधिकारी/मण्डलायुक्त न्यायालय में विचाराधीन है जिनकी पैरवी करके शीघ्र निस्तारण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में लगभग 24.34 हे० भूमि अभी रिक्त है। नगर पार्क की भूमि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा मा० एन.जी.टी. में योजित वाद संख्या-380/2018 पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम भारत एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-डब्ल्यू-9/8-3-19-2006 विविध/2018 टीसी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 16.01.2019 तथा शासनादेश संख्या-168/आठ-3-20-206 विविध/18 टीसी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 19.02.2020 (छायाप्रति संलग्न है) में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित की गयी तथा रिक्त निजी काश्तकारों की भूमि सुरक्षित करने के उद्देश्य से निम्न कार्यवाही की गयी है :-

1. रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न होने देने तथा भूमि के विक्रय को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इस आशय के बोर्ड रिक्त भूमि पर लगाये गये है कि भवन निर्माण करने हेतु इस आरक्षित भूमि को क्रय न किया जाए। मौके पर लगाए गए बोर्ड की फोटोग्राफ्स संलग्न है।


2. उप निबन्धक स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से अनुरोध किया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बैनामों में गाटा संख्या, रकवा, मौजा एवं प्राधिकरण की महायोजना में अंकित भू-उपयोग अंकित किया जाए।

3. विकास प्राधिकरण कार्यालय से महायोजना 2021 में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी तथा क्रीड़ा स्थल आदि से सम्बन्धित मौजावार तथा गाटावार सूची पंजीयन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है तथा इन भू-उपयोगों को सजरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज करते हुए मानचित्रों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है तथा उप निबन्धक कार्यालय को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

4. नगर पार्क हेतु आरक्षित क्षेत्र में प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा सतत भ्रमण किया जा रहा है तथा अनाधिकृत निर्माण रोकने की कार्यवाही की जा रही है। (संलग्नक-1)

(2)

+



लक्ष्मी तालाब के जल की शुद्धता / प्रदूषित पदार्थों आदि को लक्ष्मी तालाब में जाने से रोकना सुनिश्चित किया जाना 194

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लक्ष्मी तालाब के जल को स्वच्छ बनाने हेतु जल निगम एवं जल संस्थान झाँसी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा दिनांक 15.12.2021 को अद्यतन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जिसके अनुसार राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्मीताल स्थित 26 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 03 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन निर्मित है, उक्त योजना एस.टी.पी. पर झाँसी नगर के अन्तर्गत लक्ष्मीताल में गिरने वाले एस.पी.एस.-1 के माध्यम से कमशः कुबेरु नाला, कसाई मण्डी नाला, लक्ष्मीगेट नाला, एस.पी.एस.-2 के माध्यम से जोशीयाना नाला, बंगलाघाट नाला, ढिमरियाना नाला तथा ओम शान्ती नगर नाला को टेप/बाईपास कर सीवेज का शोधन किया जाना है। शोधन उपरान्त टरसरी ट्रीटमेन्ट के माध्यम से 04 एम.एल.डी. शोधित जल का पुनः लक्ष्मीताल में डाला जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में किसी भी नाले का गन्दा पानी लक्ष्मी ताल में प्रवाहित नहीं होता है। सीवर का शोधन उपरान्त पूर्व निर्धारित नाले के माध्यम से पानी को नारायण बाग में सिंचाई हेतु दिया जा रहा है, एस.टी.पी. के ऑउट-लेट पर जल परीक्षण रिपोर्ट सलंगन कर प्रेषित है जो कि मानक के लगभग समीप है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में उपरोक्त प्लांट टेस्ट एवं ट्राइल रन की स्टेज में चालू अवस्था में है। (सलंगनक-2)

लक्ष्मी तालाब में एवं उसके कैचमेन्ट एरिया में सीवेज/सॉलिड वेस्ट तथा अन्य वेस्टेज को जाने से रोकना

इस सम्बन्ध में स्मार्टसिटी योजना के अन्तर्गत झाँसी नगर में तथा विशेष रूप से लक्ष्मी तालाब के कैचमेन्ट एरिया में कूड़े के डोर-टू-डोर कलेक्शन की व्यवस्था प्रारम्भ हो गई है। लक्ष्मी तालाब में वेस्टेज आदि को रोकने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम/जलसंस्थान, झाँसी द्वारा एवं स्मार्ट सिटी लि0 योजना के अन्तर्गत समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अद्यतन आख्या दिनांक 16.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्मीताल, झाँसी कैचमेन्ट एरिया में भण्डारित जल नमूना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा दिनांक 11.11.2021 को एकत्रित किया गया था उक्त जल नमूने की विश्लेषण आख्या के अनुसार भण्डारित जल की गुणवत्ता Disolve Oxyzen निर्धारित मानक 4.0mg/ltr के सापेक्ष 5.00mg/ltr है जो कि जल गुणवत्ता संतोषजनक होने का संकेत है। BOD निर्धारित मानक 3.0mg/ltr के सापेक्ष 6.0mg/ltr है जो कि सीवेज सैटल्ड स्लज तली पर जमा होने के कारण सम्भाव्य है। (सलंगनक-3)

लक्ष्मी तालाब को संरक्षित करने हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाना

इस सम्बन्ध में सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण एवं अपर नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा लक्ष्मी तालाब को संरक्षित करने हेतु एन.सी.सी. कैंडेट, सिविल डिफेन्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु जन-जागरुकता कार्यक्रम कराये गये हैं। मण्डल स्तर पर व जनपद स्तर पर जल संरक्षण एवं शहर झाँसी स्थित लक्ष्मी तालाब के जल को संरक्षित व सुरक्षित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर जन जागरण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा भविष्य में भी बुन्देलखण्ड एवं झाँसी की जल से सम्बन्धित समस्याओं के दृष्टिगत जन जागरण कार्यक्रम चलाये जाते रहेंगे साथ ही विभिन्न गोष्ठियों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले वाहनों पर लाउडस्पीकर्स के माध्यम से जन-जागरण हेतु लगातार प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनायें भी सम्मिलित हैं, उक्त परियोजनाओं में लक्ष्मीताल का विकास एवं सौंदर्यीकरण परियोजना भी सम्मिलित है। लक्ष्मीताल का विकास एवं सौंदर्यीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य निर्माणाधीन है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त परियोजना के निर्माण स्थल पर पर्यावरण को साफ-सुधरा रखने के लिये जनमानस को जागरुक करने हेतु झाँसी नगर निगम/झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा

(3)

अभियान चलाया जा रहा है। उक्त जागरुकता अभियान में दिनांक 15 दिसम्बर 2021 को झाँसी निगम/झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की टीम के लगभग 15 सदस्यों द्वारा जनमानस को लक्ष्मीताल में गंदगी न डालने हेतु जागरुक किया गया। झाँसी नगर निगम/झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सदस्यों द्वारा जनमानस को अवगत कराया गया कि कचरा कलेक्शन हेतु झाँसी नगर निगम/झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा वाहन झाँसी नगर के वार्डों में चलाये जा रहे हैं, अतः आप सभी जनमानस से अनुरोध है कि आप अपने घरों, दुकानों एवं अन्य स्थलों के गीले एवं सूखे कचरों को पृथक-पृथक कर कचरा उक्त वाहनों को ही दें। जनमानस को यह भी समझाया गया कि लक्ष्मीताल के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु किये जा रहे कार्यों में आपकी सहभागिता यह है कि लक्ष्मीताल को स्वच्छ एवं सुंदर बनाये रखने हेतु किसी भी प्रकार की गंदगी लक्ष्मीताल में न करें और न ही दूसरों को करने दें। (संलग्नक-4)

लक्ष्मी तालाब को मूलस्वरूप में निर्धारित समय के अन्तर्गत लाने हेतु समेकित कार्य योजना तैयार करना

लक्ष्मी तालाब का झाँसी नगर में ऐतिहासिक महत्व है साथ ही यह तालाब जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है इसको एक रमणीय स्थल एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के दृष्टिगत झाँसी स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कुल लागत रु0 39,49,22,826/- की परियोजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत मौके पर कार्य चल रहे हैं इस परियोजना में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये हैं:-

- तालाब के प्रवेश द्वार का जीर्णोद्धार।
- तालाब के बीच में महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति की स्थापना।
- तालाब की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण।
- तालाब के चारों तरफ पक्के नालों का निर्माण।
- तालाब के चारों तरफ सुसज्जित-पथ का निर्माण।
- लक्ष्मी मन्दिर की तरफ पार्क का निर्माण।
- पर्यटकों के लिए सेल्फी प्वाइंट का निर्माण।
- पर्यटकों के लिए पार्किंग की सुविधा।
- पर्यटकों के लिए खानपान एवं ई-शौचालय सुविधाओं का निर्माण।
- पर्यटकों के लिए नौका-विहार की सुविधा।

उपरोक्तानुसार लक्ष्मी तालाब के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व जल संरक्षण की दृष्टि से महत्व को दृष्टिगत रखते हुये लगातार विकास कार्य कराये जा रहे हैं लक्ष्मीतालाब की भूमि पर समिति की अद्यतन जाँच के अनुसार दो प्रकरणों को छोड़कर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं है तालाब की भूमि पर दो मन्दिर बने हैं जो काफी पुराने हैं अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धित दो प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका विचाराधीन है जिसमें प्रभावी पैरवी की जा रही है। झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा लक्ष्मीतालाब के निकट स्थित नगर पार्क हेतु मास्टर प्लान में आरक्षित निजी काश्तकारों की भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जिसका विस्तृत विवरण प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में दिया गया है इस आख्या की प्रति संलग्न है। लक्ष्मीतालाब को उसके मूलस्वरूप में लाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व विभाग एवं नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज रकवा मौके पर सुरक्षित है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि लक्ष्मी तालाब के जल को शुद्ध बनाने हेतु जल निगम एवं जल संस्थान झाँसी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है साथ ही इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये रमणीय एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु लगभग 39.49 करोड़ की लागत से झाँसी स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा विस्तृत परियोजना तैयार की गयी है जिस पर कार्य हो रहा है। साथ ही साथ जनपद झाँसी हेतु तैयार किये गये डिस्ट्रिक्ट इनवायरमेण्ट प्लान तैयार किया गया है जो कि उ.प्र. प्रदूषण बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा सैद्धान्तिक सहमति हेतु कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को अग्रसारित किया गया है। (संलग्नक-5)

(4)



उपरोक्तानुसार लक्ष्मी तालाब की भूमि एवं उसके समीप स्थित नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि के सम्बन्ध में स्थलीय आख्या (Status Report) सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को प्रेषित करने की कृपा करें।



क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी  
झाँसी  
सदस्य



अपर जिलाधिकारी वि०/रा०  
झाँसी  
सदस्य



अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)  
झाँसी  
सदस्य



उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण  
सदस्य



16/12/21  
नगर आयुक्त  
झाँसी नगर निगम, झाँसी।  
अध्यक्ष

# झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रेषक,  
उपाध्यक्ष,  
झाँसी विकास प्राधिकरण,  
झाँसी।

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
झाँसी।

पत्रांक:- 1327 / जे0डी0ए0 / 2021-22

दिनांक:- 15-12-2021

**विषय:-** मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या- 165/2021 गिरजा शंकर बनाम् उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन में विकास प्राधिकरण की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि झाँसी नगर स्थित लक्ष्मी ताल एवं उसके समीपवर्ती नगर पार्क हेतु महायोजना 2021 में आरक्षित भूमि के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-165/2021 गिरजा शंकर बनाम् उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन में मा0 न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार कार्यवाही करके आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में सचिव महोदय, नगर विकास, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-नगर विकास अनुभाग-5, संख्या-11874/नौ 04.11.2021 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रकरण में मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ए.टी.आर. प्रेषित की जाए। उक्त पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा ए.टी.आर. प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित बिन्दु निम्नवत् है:-

1. नगर पार्क हेतु चिन्हित भूमि पर अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत पर कार्यवाही विषयक आख्या प्रस्तुत किया जाना :-

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में नगर पार्क के बारे में कहा गया है कि नगर पार्क हेतु मास्टर प्लान-2021 में आरक्षित भूमि लक्ष्मीताल के किनारे है, जिसमें बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग की जा रही है। शिकायत के अनुसार झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा 23 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 27 उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। शिकायत के अनुसार इन अवैध निर्माणों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मा0 एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण में कार्यवाही किये जाने एवं आख्या उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिनांक 12.07.2021 में पारित किये गये हैं।

मा0 एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण में दिनांक 12.07.2021 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है :-

“1. Grievance in this application is against inaction of the statutory authorities in protecting Laxmi Tal at Jhansi from unauthorized encroachments. It is stated that Jhansi Development Authority has been constituted by the State of UP and the Jhansi master Plan 2021 has been prepared. However, in violation of the said master Plan there are illegal encroachments at Laxmi Tal where a big park is proposed to be developed for tourism. Large scale illegal plotting is being done. Jhansi Development Authority has taken action against some persons

including 23 persons mentioned in the application. But the action initiated has not been completed. Large scale pollution is also taking place on account of such encroachments. The applicant has also filed a copy of order dated 29.03.2019 by the Jhansi Development Authority for removing encroachments under Section 27 of the UP Urban Development ACT, 1973.

2. This Tribunal has dealt with the matter inter-alia vide order dated 28.05.2021 in O.A. No. 114/2021, *Narendra Kushwaha v. State of UP* directing the Principal Secretary, Urban Development, UP to look into the matter and take remedial action in the light of the earlier order of this tribunal dated 19.12.2018 in O.A. No. 380/2018, *Park Avenue Plot Holders Welfare Society v. UOI & Ors.*
3. Since similar complaints are being repeatedly filed, we find it necessary to ascertain the compliance status from a joint Committee comprising Principal Secretary, Urban Development, UP, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi.
4. By our recent order dated 5.7.2021, we have directed preparation and execution of District Environment Plans as follows:

*“Accordingly, in view of long-time failure to comply the mandate of the constitution adversely affecting the public health and the environment and repeated failures to comply with the earlier directions on the subject, we direct*

- a. *Chief secretaries of all the States/UTs may ensure completion of District Environment Plans (DEPs) for all the Districts, in the light of orders of this Tribunal dated 26.9.2019, 19.3.2020, 29.1.2021 and the observations in the present order and upload the same on their respective websites positively by 31.10.2021.*
- b. *The DEPs may contain data on each environmental issue covering each city, town and village. Data may show the extent of gap in compliance of laid down norms for*
  - i. *Waste Management – Municipal Solid, Plastic, Bio-medical, Electric and Electronic, Hazardous and Construction and Demolition waste*
  - ii. *Sewage treatment and utilisation*
  - iii. *Water quality – Rivers, Water bodies, Ground Water, Coastal waters and Rain water harvesting,*
  - iv. *Industries Pollution Control including industrial clusters*
  - v. *Air Quality management includes pollution due to dust*
  - vi. *Regulating mining/Sand mining*
  - vii. *Noise pollution*
  - viii. *Any other issues significant in the area*
  - ix. *The DEP must give timelines for accomplishment of tasks backed up with budgetary support and the officers entrusted with the job, with contact details of the nodal officer at various levels in the District*
  - x. *Scope for public participation on remedial measures like plantations*





- c. *DEPs may also contain mechanism for review at different levels.*
- d. *The District Magistrates may accordingly execute the action plans by reviewing the progress on various targets at least once in a month.*
- e. *All the States may accordingly consolidate the DEPs and prepare their respective State Environment Plans and upload the same on their respective websites...*

5. The Principal Secretary, Urban Development, Jhansi will be the nodal agency for coordination and compliance. DM with local Members may have ground survey done and report to Secretary, UD for consolidated action. A Status report on the subject may be filed within two months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The report may specify the status of preparation and execution of DEP, number of show cause notices issued and final action taken thereupon, the status of compliance of order of this Tribunal for protection of water bodies being order dated 18.11.2020 in O.A. No. 325/2015, Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi v. UOI such as demarcation of boundaries of Jhansi Tal, Water quality, effectiveness of prevention of discharge and disposal of sewage and solid and other waste into Tal and in its catchment area, removal of encroachments, public awareness and integrated action plan for restoration within time frame."

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव नगर विकास महोदय को विभागों के मध्य समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है तथा विकास प्राधिकरण, झाँसी एवं जिलाधिकारी, झाँसी को संयुक्त समिति में सम्मिलित किया गया है। इस क्रम में जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा मा0 एन.जी.टी के आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन हेतु दिनांक 31.07.2021 के आदेश के अन्तर्गत निम्नवत् समिति गठित की गयी है :-

1. नगर आयुक्त, नगर निगम
2. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण
3. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व विभाग
4. अपर जिलाधिकारी, न्यायिक
5. क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी या उनके द्वारा नामित सदस्य

गठित समिति द्वारा मा0 एन.जी.टी के आदेश के अनुपालन हेतु लक्ष्मीताल एवं समीपवर्ती नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया है तथा कईबार समिति की बैठकें जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत हुई हैं। समिति द्वारा आदेश के अनुपालन में लक्ष्मीताल की भूमि के अतिक्रमण को चिन्हित करके उन्हें हटवाने की कार्यवाही हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया है तथा राजस्व विभाग के माध्यम से लक्ष्मीताल की पैमाइस की जा रही है।

लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क हेतु महायोजना 2021 में आरक्षित भूमि का रकबा 170.48 हे0 है, जो मौजा पिछोर एवं डडियापुरा में स्थित है आरक्षित भूमि में 44.74 हे0 शासकीय भूमि है इस पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क पूर्व से विकसित है। आरक्षित भूमि में 125.74हे0 भूमि निजी कास्तकारों की है। इस भूमि के अधिकांश रकवे पर काफी पहले के आवासीय निर्माण स्थित हैं। यह भूमि झाँसी नगर की आबादी के अन्दर स्थित है तथा नगर निगम, झाँसी एवं विद्युत विभाग द्वारा अधिकांश आबादी में पहले से ही अवस्थापना सुविधाएं जैसे सड़क, विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग, सफाई इत्यादि की व्यवस्था की गयी है। प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार 125.74हे0 निजी कास्तकारों की भूमि में से लगभग 101.40हे0 पर पुरानी आबादी तथा कुछ नवीन अनाधिकृत निर्माण हो गये हैं।




अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत निजी कास्तकारों की महायोजना 2021 में नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में वर्ष 2017-20 के मध्य कुल 67 अवैध निर्माणों की सूचना प्राप्त हुई, जिनके सापेक्ष सभी प्रकरणों में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 के अन्तर्गत निर्माण कार्य रोकने के आदेश पारित किये गये हैं तथा तामीली स्थानीय पुलिस तथा प्राधिकरण के अवर अभियन्ताओं के माध्यम से करायी गयी है। इनमें सभी 67 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिये गये हैं। 67 प्रकरणों के सापेक्ष 34 प्रकरण अपीलीय अधिकारी/मण्डलायुक्त जॉसी के न्यायालय में विचाराधीन है। इन प्रकरणों में पैरवी करके शीघ्र निस्तारण कराकर मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश निर्माण छोटे-छोटे आवासीय भवनों के रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं मध्यम वर्ग परिवारों से सम्बन्धित हैं। यह निर्माण चोरी-छिपे किये गये हैं। आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित किए गए नगर पार्क हेतु महायोजना-2021 में आरक्षित भूमि पर 23 अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं तथा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मा0 एन.जी.टी के आदेश दिनांक 12.07.2021 में उल्लिखित 23 प्रकरणों में की गयी कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में लगभग 24.34 हे० भूमि अभी रिक्त है। नगर पार्क की भूमि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा मा0 एन.जी.टी. में योजित वाद संख्या-380/2018 पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम भारत एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-डब्ल्यू-9/8-3-19-2006 विविध/2018 टीसी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 16.01.2019 तथा शासनादेश संख्या-168/आठ-3-20-206 विविध/18 टीसी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 19.02.2020 (छायाप्रति संलग्न है) में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित की गयी तथा रिक्त निजी कास्तकारों की भूमि सुरक्षित करने के उद्देश्य से निम्न कार्यवाही की गयी है :-

1. रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न होने देने तथा भूमि के विक्रय को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इस आशय के बोर्ड रिक्त भूमि पर लगाये गये हैं कि भवन निर्माण करने हेतु इस आरक्षित भूमि को क्रय न किया जाए। मौके पर लगाए गए बोर्ड की फोटोग्राफस संलग्न हैं।
2. उप निबन्धक स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से अनुरोध किया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बैनामों में गाटा संख्या, रकवा, मौजा एवं प्राधिकरण की महायोजना में अंकित भू-उपयोग अंकित किया जाए।
3. विकास प्राधिकरण कार्यालय से महायोजना 2021 में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी तथा कीड़ा स्थल आदि से सम्बन्धित मौजावार तथ गाटावार सूची पंजीयन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है तथा इन भू-उपयोगों को सजरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज करते हुए मानचित्रों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है तथा उप निबन्धक कार्यालय को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।
4. नगर पार्क हेतु आरक्षित क्षेत्र में प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा सतत भ्रमण किया जा रहा है तथा अनाधिकृत निर्माण रोकने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना-2021 प्रभावी है तथा महायोजना-2031 तैयार की जा रही है। शीघ्र ही इसका प्रभावी होना प्रस्तावित है। महायोजना-2031 तैयार करते समय अन्य आरक्षित भूमि के भू-उपयोग के साथ ही नगर पार्क हेतु आरक्षित इस भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्तियां प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

यह भी अवगत कराना है कि विकास क्षेत्रों द्वारा महायोजना तैयार करते समय भविष्य के शहरीकरण के दृष्टिगत विभिन्न भू-उपयोग निर्धारित किये जाते हैं जिसके अन्तर्गत निजी कास्तकारों की भूमियों पर विभिन्न प्रकार के आरक्षित भू-उपयोग जैसे-नगर पार्क, प्रखण्डीय पार्क, मास्टर प्लान रोड आदि निर्धारित किये जाते हैं। प्रदेश में महायोजना अथवा इस विषयक अधिनियम 1973 में कास्तकारों की निजी भूमि के अधिग्रहण की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण पंजीकृत बैनामों तथा स्वामित्व के आधार पर चोरी-छिपे आरक्षित भूमि की श्रेणियों पर भू-स्वामियों द्वारा अनाधिकृत निर्माण किये जाने के प्रकरण सामने आते हैं। लक्ष्मी ताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित निजी कास्तकारों की भूमि का अधिग्रहण पर्याप्त धनराशि न होने के कारण नहीं किया गया है।




उपरोक्तानुसार नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। भविष्य में अनाधिकृत निर्माण न होने देने तथा विक्रय रोकने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 16.01.2019 में निहित व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि नगर पार्क हेतु आरक्षित निजी कास्तकारों की 125.74 हे० भूमि का अधिग्रहण धनाभाव के कारण नहीं किया गया है।

आख्या अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक -1. 23 वादों में कृत कार्यवाही की सूची।

2. मौके पर लगाए गए बोर्ड की फोटोग्राफ्स।
3. उपनिबन्धक, झाँसी-प्रथम एवं द्वितीय को प्रेषित पत्र दिनांक 07.10.2021 की प्रति।
4. शासनादेश संख्या-डब्ल्यू-9/8-3-19-2006विविध/2018टीसी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 16.01.2019
5. शासनादेश संख्या-168/आठ-3-20-206 विविध/ 18टीसी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 19.02.2020

  
 (त्रिभुवन विश्वकर्मा)  
 सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

  
 (सर्वेश कुमार)  
 उपाध्यक्ष

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

गिरजा शंकर राय व नरेन्द्र कुशवाहा आदि के प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.06.2021 में  
उल्लिखित 23 प्रकरणों में कृत कार्यवाही का विवरण

202

क्र० सं०	नोटिस संख्या	बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माणकर्ता का विवरण	प्राधिकरण द्वारा कृतकार्यवाही	निर्मित रिहायशी मकान की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	4
1.	248/2018-19	श्रीमती राममूर्ति पाण्डेय	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	निर्माण कार्य हटाया गया।
2.	654/2018-19	श्रीमती द्रोपती देवी	वाद संख्या-654 दर्ज ही नहीं हैं।	प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
3.	21/2017-18	मानवेन्द्र सिंह यादव	पत्रावली उपलब्ध नहीं है।	प्रकरण में नई नोटिस जारी की गयी।
4.	68/2018-19	श्री शिशुपाल सिंह यादव	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
5.	199/2018-19	श्रीमती सुनीता शर्मा	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
6.	193/2020-21	श्रीमती गिरजा	वाद सं० गलत है। सही वाद सं० 68/2018-19 है। दि० 30.07.2021 को अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश जारी किया गया है।	अपील लम्बित है।
7.	249/2019-20	सतीश गुप्ता	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
8.	255/2019-20	विनोद वंशकार	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
9.	60/2015-16	श्रीमती सुधा तिवारी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	-
10.	61/2015-16	विक्रम सिंह	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	-
11.	62/2015-16	श्रीमती मूर्ति देवी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
12.	63/2015-16	श्रीमती रामदेवी सिंह	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	-
13.	64/2015-16	पुष्पेन्द्र कुमार	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
14.	36/2016-17	श्रीमती ममता देवी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	-
15.	37/2016-17	श्रीमती जमीला बानो	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
16.	38/2016-17	बब्लू	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	-
17.	39/2016-17	रिती श्रोतिया	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
18.	40/2016-17	श्रीमती सुकृता देवी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
19.	41/2016-17	श्रीमती संध्यादेवी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	-
20.	119/2016-17	श्रीमती सावित्री देवी	वाद संख्या-119 दर्ज ही नहीं हैं।	-
21.	10/2017-18	पप्पू ठाकुर	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
22.	12/2017-18	रेखापाल	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
23.	20/2017-18	जितेन्द्र कुमार	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।

लिपिक

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

सचिव सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी, झाँसी

उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी



*[Signature]*  
 सचिव  
 डॉ.सी विकास प्राधिकरण, डॉ.सी

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,  
झाँसी विकास प्राधिकरण,  
झाँसी।

सेवा में,

उप निबन्धक,  
झाँसी-प्रथम एवं द्वितीय, झाँसी।

पत्रांक- १०६/जे०डी०ए०/२०२१-२२

दिनांक- ०७.१०.२०२१

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या- ३८०/२०१८ पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स बेलफेयर्स सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक १९.१२.२०१८ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-२५८२/सी०का०लख०/२०२०/विविध(आर०के०एस०) दिनांक २७.११.२०२० तथा प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३ के पत्र संख्या-१६८/आठ-३-२०-२०६ विविध/१८ टी.सी. दिनांक १९.०२.२०२० (छायाप्रति संलग्न है) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें झाँसी महायोजना-२०२१ में झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल, महायोजना मार्ग, भू-उपयोग के विरुद्ध अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक-थाम हेतु विक्रय विलेख में निम्नवत् विवरण का अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं :-

- (क) गाटा संख्या, ग्राम तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जाए।
- (ख) झाँसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना-२०२१ में सम्मिलित होने की दशा में विकास प्राधिकरण झाँसी क्षेत्र का नाम अंकित किया जाए।
- (ग) सम्बन्धित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग- पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू-उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जाए।
- (घ) उक्त प्रस्तर 'ग' में उल्लिखित भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा की सहमति अनिवार्य रूप से अंकित की जाए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में एतद पत्र के साथ महायोजना-२०२१ के ३९ राजस्व ग्रामों में भू-उपयोग के सजरा मानचित्र के हार्ड कॉपी एवं प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल, महायोजना मार्ग से सम्बन्धित राजस्व ग्रामवार आराजियात(प्लॉट नं०) की सूची संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली के आदेश दिनांक १९.१२.२०१८ का अनुपालन कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित बैनामों की एक प्रति झाँसी विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित करने का कष्ट करें। बैनामा की छायाप्रति प्राधिकरण को उपलब्ध कराने में जो व्यय भार आयेगा उसको प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।


(सर्वेश कुमार)

उपाध्यक्ष

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, आवास एवं शहरी नियोजन।
२. महा निरीक्षक, निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
३. अध्यक्ष/आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
४. जिलाधिकारी, झाँसी।
५. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), झाँसी।
६. सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।



उपाध्यक्ष

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

## श्री झांसी विकास प्राधिकरण झांसी

झांसी महायोजना-2021 के अनुसार ग्राम-पिछोर तहसील व जिला झांसी के नगर पार्क एवं प्रस्तावित महायोजना मार्ग की भूमि के अन्तर्गत आराजी संख्या का विवरण :-


क.सं.	भू-उपयोग	आराजी संख्या																																																																																																																																																																																																												
1	2	3																																																																																																																																																																																																												
1	मनोरंजन सुविधाएं (नगर पार्क)	22,	23,	682,	684,	685,	686,	689,	691,	692,	693,	694,	695,	696,	697,	722,	723,	724,	725,	726,	727,	728,	729,	731,	732,	733,	734,	735,	736,	737,	738,	739,	740,	741,	742,	743,	744,	745,	746,	747,	748,	749,	750,	751,	752,	753,	754,	755,	756,	757,	758,	759,	760,	761,	762,	763,	764,	765,	766,	767,	768,	769,	770,	771,	772,	773,	774,	775,	776,	777,	778,	779,	780,	781,	782,	783,	784,	785,	786,	787,	788,	789,	790,	791,	792,	793,	794,	795,	796,	797,	798,	799,	800,	801,	802,	803,	804,	805,	806,	807,	808,	809,	810,	811,	812,	813,	814,	815,	816,	817,	818,	819,	820,	821,	822,	823,	824,	825,	826,	827,	828,	829,	830,	831,	832,	833,	834,	835,	836,	837,	838,	839,	840,	841,	842,	843,	844,	845,	846,	847,	848,	849,	850,	851,	852,	853,	854,	855,	856,	871,	872,	873,	874,	875,	876,	877,	878,	879,	886,	887,	888,	891,	892,	893,	894,	895,	896,	897,	898,	899,	900,	901,	902,	903,	904,	905,	906,	907,	908,	909,	910,	911,	912,	913,	914,	915,	916,	917,	918,	919,	920,	921,	922,	923,	924,	925,	926,	927,	928,	929,	930,	931,	932,	933,	934,	व 935
2	मनोरंजन सुविधाएं (नगर पार्क) आंशिक भाग	21,	683,	687,	690,	698,	712,	717,	718,	719,	720,	721,	730,	863,	867,	868,	869,	880,	882,	883,	884,	889,	890,	व 936																																																																																																																																																																																						
3	महायोजना मार्ग (24 मी०/30मी०) आंशिक/पूर्ण	11,	12,	13,	14,	15,	16,	78,	79,	80,	93,	95,	96,	104,	105,	138,	139,	166,	206,	207,	208,	209,	216,	217,	218,	219,	220,	239,	256,	258,	295,	297,	298,	628,	630,	635,	637,	639,	640,	642,	652,	658,	660,	662,	664,	665,	669,	857,	858,	859,	860,	861,	865,	866,	867,	868,	869,	870,	880,	881,	882,	883,	884,	886,	889,	890,	990,	996,	999,	1000,	1001,	1030,	1032,	1017,	1107,	1167,	1263,	1265,	1266																																																																																																																															

782  
06.10.21  
(जितेन्द्र सिंह सहरवार)  
नगर नियोजक  
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

## झाँसी जिला विकास प्राधिकरण, झाँसी

झाँसी महायोजना-2021 के अनुसार मौजा-तालपुरा, तहसील व जिला-झाँसी के नगर पार्क की भूमि के अन्तर्गत आराजी संख्या का विवरण :-

क.सं.	भू-उपयोग	आराजी संख्या
1	2	3
1	मनोरंजन सुविधाएं (नगर पार्क) पूर्ण	221, 222, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 व 279
2	मनोरंजन सुविधाएं (नगर पार्क) आंशिक भाग	213, 220, 223, 227, 228, 237, 240, 241, 258, 259, 280, 281, 282, 283, 284 व 285

  
 (जितेन्द्र सिंह) सहरवाँर  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

संख्या-डब्ल्यू-09/8-3-19-206 विविध/2018 टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कार्यालय

मुख्य नगर २२  
१२ मार्च २०१९/१-१-१९  
२२ नं० ११६

1. आयुक्त,  
उ0प्र0 आवास विकास परिषद  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,  
समस्त विनियमित क्षेत्र,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 1/ जनवरी, 2019

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-380/2018 पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायालय, प्रधान खण्डपीठ, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-380/2018 पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 की संलग्न छायाप्रति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें निम्नवत् आदेश दिया गया है :-

".....The Learned Counsels for the parties have submitted in respect of the steps to be taken so as to prevent sale of land which is earmarked as green belt or park area in the Master Plan. We have been informed by the learned Advocate General that the Government of Uttar Pradesh is contemplating to have a policy on the issue. However, it is essential to take interim measures to prevent sale of such land by the owners before the policy is finalized. In this regard, the Learned Advocate General has fairly submitted that the Government shall take immediate steps by way of ordinance to prevent sale of such lands. We have been informed that the ordinance will be issued by 17<sup>th</sup> January, 2019.

Let the matter be listed on 18<sup>th</sup> January, 2019."

2- उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की महायोजना क्षेत्र में चिह्नित ग्रीन बेल्ट अथवा पार्क क्षेत्र की भूमि के विक्रय पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को दिनांक 17.01.2019 तक अध्यादेश जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही हेतु महायोजना में अंकित भू-उपयोग के अनुसार भूमि का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण गाटा संख्या, खसरा संख्या, आराजी संख्या जिले के

१०/१०

10/10/19

550/वा01-10  
21/1/19

Self Archived / अंग्रेजी में ज. भा. 1

21/1/2019

जिलाधिकारी/स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय। विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत महायोजनाओं में निर्धारित ग्रीन बेल्ट व पार्क भू-उपयोग के विरुद्ध हुए निर्माण कार्यों को रोकने हेतु तत्काल सर्वे कराकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय। अवैध निर्माण को रोके जाने के संबंध में शासन स्तर से अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गये थे किन्तु अपेक्षित कार्यवाही के अभाव में अवैध निर्माण के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं। महायोजनाओं में निर्धारित भू-उपयोगों के विरुद्ध अवैध निर्माण को चिन्हांकित करते हुए भविष्य में अवैध निर्माण को रोकने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। ऐसे प्रकरणों में समुचित कार्यवाही नहीं होने की दशा में सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उक्त विवरण की हार्ड/साफ्ट कापी शासन को ई-मेल आई0डी0 awasanubhag3@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ✓ 2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित पक्षों को तत्काल तामील कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।

५

## ANNEXURE - 2

अत्यंत महत्वापूर्ण / मा० एन०जी०टी० के आदेश  
संख्या-168/आउ-3-20-208 विविध/18 टी.सी.

प्रेषक,

दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र० लखनऊ।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,  
समस्त विनियमित क्षेत्र,  
उ०प्र० लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2020

विषय: भू-उपयोग के विरुद्ध अवैध निर्माण तथा विद्यमान नियमों के संबंध में कार्यवाही किये जाने  
विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित  
वाद संख्या-380/2018 पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम भारत संघ व अन्य में  
दिनांक 17.01.2020 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

"..... In view of the aforesaid backdrop, we have been taken by surprise today when it was submitted on behalf of the State Government that a meeting has been called for discussions/consultation in respect of the issue involved in this case. A letter in this regard has been issued by the Deputy Secretary, Urban and Housing Department, State of UP on 14.01.2020 to eight officers which includes Principal Secretary, Law; Additional Chief Secretary, Revenue; Principal Secretary, Stamps and Registration; Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department, Principal Secretary, Urban Development Department; Principal Secretary, Text and Registration Department; Advisor (Planning), Urban Development and Advisor (Development), Urban Development Department. The meeting is proposed to be held on 22.01.2020 under the Chairmanship of the Chief Secretary.

A bare perusal of the letter dated 14.01.2020 reveals that all the officers who have been called are not directly concerned with the issue involved herein i.e. to prevent selling part of the land to other individuals for the purpose of residence, whereas the same is for park/open space.

Moreover, the meeting so called is only for the purpose of discussion. As mentioned earlier, on numerous occasions it has been stated before us on behalf of State Government that a policy would be immediately framed and looking to the nature of the issue involved, even an interim measure by way of an ordinance shall be taken to prevent encroachments are made on land earmarked for parks and green belts.

The aforesaid narration of facts and the proceedings in this case wherein statements had been made on different occasions for the purpose of ensuring that the land meant for park and green belt would be reserved safely without encroachment had all been without any result. We find that ever-since the year 2014 when a representation was made to the concerned department and even during the pendency of the present case before us where many years have been passed, no concrete steps have been taken by State of Uttar Pradesh. We are sure that during this intervening period of more than five years much change must have taken place at the site and the land must have been used for different purposes by the individuals by claiming title in the property in question as having been purchased through registered sale deed. All this has happened due to the laxity with which the respondent Government and its authorities have been proceeding.

In view of the above, we direct the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh to take a final decision for framing a policy or amending the relevant legislation for the purpose of saving/patterning the land to be meant for park and green belt under the Urban Master Plan of the State, on or before 31st January, 2020.

A copy of this order be sent to the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh through the usual channel.

List the matter on 12th February, 2020."

2- उक्त के क्रम में भू-उपयोग के विरुद्ध अवैध निर्माण तथा विद्यमान नियमों के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

(1) विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी रूप से विद्यमान में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महामोक्षणा क्षेत्र भू-उपयोग से संबंधित गाटा संख्या/खसरा संख्या/आराजी संख्या का हितरक्षा तथा विनियमित क्षेत्र पर सुपर इम्पोज

*h*

Commissioner  
District

करते हुए मानचित्र संबंधित अभिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए जनपद स्तर के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय को तत्काल सूचना कराया जाय।

(2) जनपद स्तर पर संबंधित प्राधिकरण/निगमों/राजस्व तथा नगर नियोजन विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय के अधिकारियों को महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के संज्ञा पर राफ्त इम्प्लैन्ट किए जाने तथा भूमि के गाटा संख्या भू-उपयोग आदि विवरण का विकस्य विवेक में आदेश के साथ में जर्केशन आयोजित कराया जाय।

3- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार यथोचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कार्य करें।

संतोष,  
 (सचिव)  
 प्रमुख सचिव।

संख्या :169(1)/आठ-3-20-206 विविध/18टी.सी.जी. (वि.नि.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है-

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र० शासन।
5. अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० तत्काल को इस शासन के आदेश के अनुसार संबंधित को तामील कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराया जाय।
7. गार्ड फाइल।

संज्ञित को आदेश की प्रति ता. 14/02/2020 को भेजी जा रही है।

अतः से,  
 (सचिव)  
 प्रमुख सचिव।

Sanjay  
 14/02/2020



14/02/2020  
 प्रमुख सचिव



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), ग्वालियर रोड़, झॉसी (उ०प्र०)।

Email Add.- eecdupjnjhansi@gmail.com, Ph. (O) 0510-2330691,

पत्रांक सेवा में, 2102 / का-75 / 78

दिनांक- 15-12-2021

जिलाधिकारी महोदय,  
झॉसी।

विषय :- एन.एल.सी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्मीतालाब पर निर्मित 26 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्मीताल स्थित 26 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 03 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन निर्मित है। उक्त योजना एस.टी.पी. पर झॉसी नगर के अन्तर्गत लक्ष्मीताल में गिरने वाले नाले एस.पी.एस.-1 के माध्यम से क्रमशः कुबेरु नाला, कसाई मण्डी नाला, लक्ष्मीगेट नाला, एस.पी.एस.-2 के माध्यम से जोशीयाना नाला, बंगलाघाट नाला, ढिमरियाना नाला तथा ओम शान्ती नगर नाला को टेप/बाईपास कर सीवेज का शोधन किया जाना है। शोधन उपरान्त टरसरी ट्रीटमेन्ट के माध्यम से 04 एम.एल.डी. शोधित जल को पुनः लक्ष्मीताल में डाला जाना प्रस्तावित है उक्त नालों का गन्दा पानी लक्ष्मीताल में प्रवाहित नहीं होता है। सीवर का शोधन उपरान्त पूर्व निर्धारित नाले के माध्यम से पानी को नारायण बाग में सिचाई हेतु दिया जा रहा है। एस.टी.पी. के ऑउट-लेट पर जल परीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है, जो कि लगभग मानक के अनुरूप है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में उपरोक्त प्लांट टेस्ट एवं ट्राइल रन की स्टेज में चालू अवस्था में है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(वी.पी. यादव)

अधिशासी अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- नगर आयुक्त, झॉसी नगर निगम, झॉसी।
- 2- अपर जिलाधिकारी, झॉसी।
- 3- क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी, झॉसी।
- 4- श्री आर.के. गुप्ता, सहायक अभियन्ता।

(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

Q

अधिशासी अभियन्ता

**GEO MILLER & COMPANY PRIVATE LIMITED**

Environmental Engineers & Consultants  
 26 MLD Sewage Treatment Plant  
 Daily Sewage Analysis Report  
 U.P. Jal Nigam  
 Jhansi, U.P.

Sample Fixed Date : 11/12/2021 Sample Due Date : 14/12/2021

Time of Sampling : 10.00 AM

Raw Sewage Rate of Flow :

**Sampling Points:**

- i) Raw Sewage : Parshall Flume
- ii) Final Treated Sewage : Chlorine Contact Tank
- iii) Mixed Liquor : S.B.R.

**Raw Sewage Limit:**

pH : 6.5 - 8.5  
 Bio-Chemical Oxygen Demand (5 days - 20°C) : 180-200 mg/lit  
 Chemical Oxygen Demand : 400-450 mg/lit  
 Total Suspended Solids : 250-300 mg/lit

	<u>Treated Sewage Limit:</u>	<u>4 MLD T.T.P. Outlet</u>
pH	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5
Bio-Chemical Oxygen Demand (5 days - 20°C)	10 mg/lit	3 mg/lit
Chemical Oxygen Demand	100 mg/lit	
Total Suspended Solids	30 mg/lit	

Sample	pH	B.O.D mg/lit	C.O.D mg/lit	T.S.S mg/lit
Raw Sewage	7.5	119.9	294.7	144
Treated Sewage	7.6	15.5	53.5	38
T.T.P. Outlet				

*[Signature]* 14/12/2021

Geo Miller & Co. Pvt. Ltd.

*[Signature]*  
 (Rajesh Kr)  
 J.E

*[Signature]*  
 (R.K. Gupta)  
 A.E.

U.P. Jal Nigam  
 Jhansi, U.P.

**GEO MILLER & COMPANY PRIVATE LIMITED**

Environmental Engineers & Consultants  
 26 MLD Sewage Treatment Plant  
 Daily Sewage Analysis Report  
 U.P. Jal Nigam  
 Jhansi, U.P.

Sample Fixed Date : 10/12/2021 Sample Due Date : 13/12/2021

Time of Sampling :

Raw Sewage Rate of Flow :

Sampling Points:


- i) Raw Sewage : Parshall Flume  
 ii) Final Treated Sewage : Chlorine Contact Tank  
 iii) Mixed Liquor : S.B.R.

Raw Sewage Limit:


pH : 6.5 - 8.5  
 Bio-Chemical Oxygen Demand : 180-200 mg/lit  
 (5 days - 20°C)  
 Chemical Oxygen Demand : 400-450 mg/lit  
 Total Suspended Solids : 250-300 mg/lit

	<u>Treated Sewage Limit:</u>	<u>4 MLD T.T.P. Outlet</u>
pH	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5
Bio-Chemical Oxygen Demand : (5 days - 20°C)	10 mg/lit	3 mg/lit
Chemical Oxygen Demand :	100 mg/lit	
Total Suspended Solids :	30 mg/lit	

Sample	pH	B.O.D mg/lit	C.O.D mg/lit	T.S.S mg/lit
Raw Sewage	7.4	136.5	311.3	130
Treated Sewage	7.6	15.0	61.5	36
T.T.P. Outlet				

  
 13/12/2021

Geo Miller & Co. Pvt. Ltd.

  
 (Rajnesh Kr)  
 J.E.

  
 (R.K. Gupta)  
 (A.E.)

U.P. Jal Nigam  
 Jhansi, U.P.

## क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी

पत्र संख्या: 425/मा.रा.हरि.अधि./2021

दिनांक: दिसम्बर, 16, 2021

प्रेषक,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
झाँसी।

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी,  
झाँसी।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ.ए.संख्या 165/20221 में पारित आदेश के अनुक्रम में लक्ष्मी ताल झाँसी में वर्तमान भण्डारित जल की गुणवत्ता अनुश्रवण/विश्लेषण से पाया गया है कि Disolved Oxyzen निर्धारित मानक 4.0mg/ltr के सापेक्ष 5.00mg/ltr है जो कि जल गुणवत्ता संतोषजनक होने का संकेत है। जबकि पैरामीटर BOD निर्धारित मानक 3.0mg/ltr के सापेक्ष 6.0mg/ltr है तथा निर्धारित मानक सीमा से अधिक है।

अवगत कराना है कि पूर्व में झाँसी नगरीय क्षेत्र का सीवेज मिश्रित जल लक्ष्मी ताल में भण्डारित होता था तत्समय की सीवेज सैटलड स्लज वर्तमान में जल भण्डारण क्षेत्र में तली पर जमा होने से BOD वृद्धि सम्भाव्य है।

लक्ष्मीताल में भविष्य में शुद्ध जल निस्तारण से जल की गुणता Dilution एवं Self Cleaning प्रक्रिया से स्वतः मानक अनुरूप हो जाना सम्भावित है।

सूचनार्थ सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,  


(निरंजन शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी,

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
झाँसी



Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473

email- rojhansi@uppcb.in

**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD**

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)

KANPUR ROAD, JHANSI

**ANALYSIS REPORT**

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Name of the River/Pond    | : Laxmi Pond, Jhansi       |
| 2. Sample collected by       | : Mr. Abhishek Kumar (I.A) |
| 3. Date of Sample Collection | : 11.11.2021               |
| 4. Sampling Point            | : Laxmi Pond, Jhansi       |
| 5. Sample Method             | : Grab                     |

<u>S.N.</u>	<u>Parameter's</u>	<u>Value</u>	<u>Units</u>
1.	Colour	Muddish	Colourless
2.	Odour	Odourless	Odourless
3.	pH	7.80	7.0
4.	Dissolved Oxygen	5.00	4.0 mg/Ltr
5.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D. <sub>327<sup>0</sup>C</sub> )	6.00	3.0 mg/ Ltr
6.	Chemical Oxygen Demand	22.00	250.0 mg/Ltr
7.	Total Dissolved Solid	498.00	1500.0 mg/Ltr
8.	Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	270.00	300-600 mg/Ltr
9.	Calcium Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	190.00	200.0 mg/Ltr
10.	Magnesium Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	80.00	75.0 mg/Ltr
11.	Chlorides	40.00	250-1000 mg/Ltr

Analysed By:

  
 (Arun Kumar Mishr)  
 Assistant Scientific Officer  
 U.P. Pollution Control Board, Jhansi

  
 (Niranjan Sharma)  
 Regional Officer  
 U.P. Pollution Control Board, Jhansi  
 10/12/2021



Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473

email- rojhansi@uppcb.in

**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD**

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)

KANPUR ROAD, JHANSI

**ANALYSIS REPORT**

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Name of the River/Pond    | : Laxmi Pond, Jhansi      |
| 2. Sample collected by       | : Mr. Abhishek Kumar (LA) |
| 3. Date of Sample Collection | : 11.11.2021              |
| 4. Sampling Point            | : Laxmi Pond, Jhansi      |
| 5. Sample Method             | : Grab                    |

<u>S.N.</u>	<u>Parameter's</u>	<u>Value</u>	<u>Units</u>
1.	Colour	Muddish	Colourless
2.	Odour	Odourless	Odourless
3.	pH	7.80	7.0
4.	Dissolved Oxygen	5.00	4.0 mg/Ltr
5.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D. <sub>3,27</sub> <sup>0</sup> C)	6.00	3.0 mg/ Ltr
6.	Chemical Oxygen Demand	22.00	250.0 mg/Ltr
7.	Total Dissolved Solid	498.00	1500.0 mg/Ltr
8.	Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	270.00	300-600 mg/Ltr
9.	Calcium Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	190.00	200.0 mg/Ltr
10.	Magnesium Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	80.00	75.0 mg/Ltr
11.	Chlorides	40.00	250-1000 mg/Ltr

Analysed By:



(Arun Kumar Mishr)

Assistant Scientific Officer

U.P. Pollution Control Board, Jhansi



(Niranjana Sharma)

Regional Officer

U.P. Pollution Control Board, Jhansi

हरित झाँसी।

स्वच्छ झाँसी।



झाँसी नगर निगम, झाँसी  
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

संख्या 367 / पी0ए0 / न0आ0 / न0नि0 / 2021-22

दिनांक: 16-12-2021

प्रेषक,

नगर आयुक्त  
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

सेवामें,

अपर जिलाधिकारी, (नगामि गंगे)  
झाँसी।

विषय:-

एन0जी0टी0 की गाइड लाइन के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत लक्ष्मी तालाब के आस में पर्यावरण के दृष्टिगत किये गये प्रचार-प्रसार की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक एन0जी0टी0 की गाइड लाइन के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत लक्ष्मी तालाब के आस में पर्यावरण के दृष्टिगत नगर निगम, झाँसी/स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा जनसामान्य को जागरूक करने हेतु किये गये प्रचार-प्रसार एवं अन्य कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या फोटोग्राफ सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(अवनीश कुमार राय)

नगर आयुक्त

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

झॉसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाये भी सम्मिलित है। उक्त परियोजनाओं में लक्ष्मीताल का विकास एवं सौंदर्यीकरण परियोजना भी सम्मिलित है। लक्ष्मीताल का विकास एवं सौंदर्यीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य निर्माणाधीन है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त परियोजना के निर्माण स्थल पर पर्यावरण को साफ-सुधरा रखने के लिये जनमानस को जागरुक करने हेतु झॉसी नगर निगम/झॉसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।

उक्त जागरुकता अभियान में दिनांक 15 दिसम्बर 2021 को झॉसी नगर निगम/झॉसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की टीम के लगभग 15 सदस्यों द्वारा जनमानस को लक्ष्मीताल में गंदगी न डालने हेतु जागरुक किया गया। झॉसी नगर निगम/झॉसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सदस्यों द्वारा जनमानस को अवगत कराया गया कि कचरा कलेक्शन हेतु झॉसी नगर निगम/झॉसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा वाहन झॉसी नगर के चार्ट में चलाये जा रहे है, अतः आप सभी जनमानस से अनुरोध है कि आप अपने घरों, दुकानों एवं अन्य स्थलों के गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कर कचरा उक्त वाहनों को ही दें। जनमानस को यह भी समझाया गया कि लक्ष्मीताल के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु किये जा रहे कार्यों में आपकी सहभागिता यह है कि लक्ष्मीताल को स्वच्छ एवं सुंदर बनाये रखने हेतु किसी भी प्रकार की गंदगी लक्ष्मीताल में न करें और न ही दूसरों को करने दें। (जागरुकता अभियान के फोटोग्राफ संलग्न है)

Thanks & Regards

For A.G Enviro Infra Projects Pvt Ltd

*AK/RM*

Authorized Signatory



*AK*

*AK*  
15/12/21

Noida Head Office  
 AG Enviro Infra Projects Pvt. Ltd.  
 Corporate Office | FWH-2, 11th Floor | Pearls Plaza, Block K-24 | Sector - 18 | Noida - 201 301 | UP (India)  
 Tel : +91-120-2514692, 2512821 | Fax : +91-120-2512820 | e-mail : info@antonyasia.com  
 www.antony-waste.com | antonyasia.com



**AG ENVIRO**  
INFRA PROJECTS PVT LTD



Jhansi, Uttar Pradesh, India  
74887896, Shival Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India  
Lat: 25.4589°  
Long: 78.5915°  
15/12/21 02:18 PM





Jhansi, Uttar Pradesh, India  
74887896, Shival Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India  
Lat: 25.4589°  
Long: 78.5915°  
15/12/21 02:24 PM



Jhansi, Uttar Pradesh, India  
6, Purana Sahar, Jhansi, Uttar Pradesh 284001, India  
Lat: 25.4589°  
Long: 78.5915°  
15/12/21 02:30 PM



AG Enviro Infra Projects Pvt. Ltd.  
Corporate Office | FWH-2, 11nd Floor | Pearls Plaza | Block K-24 | Sector - 18 | Noida - 201 301 | UP (India)  
Tel : +91-120-2514692, 2512821 | Fax : +91-120-2512820 | e-mail : info@antonyasia.com  
www.antony-waste.com | antonyasia.com



नगर आयुक्त महोदय,

गा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन0जी0टी0) के ओ0ए0 नम्बर 165/2021 आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन में बिन्दु संख्या 04 व 05 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है:-

बिन्दु संख्या 04- लक्ष्मी तालाब के रूप में दर्ज गाटा संख्या 1248 में अतिक्रमणकर्ता द्वारा कोविड काल वर्ष 2020 में एक खोखा रख लिया गया था जिसे आज प्रवर्तन दल द्वारा हटा दिया गया है। (फोटो संलग्न है।) इसके अलावा गाटा संख्या 1246 व 1248 के जुज रकये में मनीराम पुत्रगण श्री बाबूलाल द्वारा एवं गाटा संख्या 1246 में जितेन्द्र पुत्र श्री बाबूलाल द्वारा कोविड काल में भवन निर्माण कर लिया है उक्त निर्माण को तीन दिन के अन्दर हटाये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये गये है। नोटिस तामीली के उपरान्त नियमानुसार अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु संख्या 05- लक्ष्मी तालाब के आस-पास लोगो में जागरूकता के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया तथा स्थानीय लोगो को सचेत किया गया तालाब भूमि पर अवैध कब्जा न किया जाये। तालाब भूमि के स्वरूप को यथावत रखा जाये। अतिक्रमणकर्ताओ के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।



अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।


  
16/12/2021  
आर० सी० श्रीवास्तव  
(Retd. A.D.M.)  
उप जिलाधिकारी (आ०सी०)  
झाँसी नगर निगम, झाँसी

  
16/12/21  
सुरेन्द्र कुमार  
सम्पत्ति अधीक्षक  
नगर निगम, झाँसी











क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० .....  
Ref. No. .... 413/NGT/OA No.-165/2021

दिनांक.....20  
Date.....15.12.2021

संलग्न-5

सेवा मे,

श्रीमान् जिलाधिकारी,  
कलैक्ट्रेट, झांसी।

विषय : Status Report of Laxmi Tal, Jhansi in matter of Hon'ble NGT OA No-165/2021 (Girja Shankar Rai & Others V/S State of Uttar Pradesh) सम्बन्धित।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ.ए.संख्या-165/2021 मे पारित आदेश की अनुपालनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध मे उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी से प्रकरण अन्तर्गत चाहा गया विवरण निम्नवत् है :-

1. लक्ष्मीताल, झांसी कैंचमेन्ट ऐरिया मे भण्डारित जल नमूना उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी द्वारा दिनांक 11.11.2021 को एकत्रित किया गया था, जल नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न है।
2. जनपद-झांसी हेतु तैयार किये गये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेन्ट प्लान जोकि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय लखनऊ द्वारा सैद्धान्तिक सहमति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली को अग्रसारित किया गया है तथा लखनऊ स्थित प्राधिकारियों द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रेषित प्रश्नगत (प्लान की छायाप्रति आपके सुलभ संदर्भ) हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
  
(निरंजन शर्मा) 15/12  
क्षेत्रीय अधिकारी

## District Environment Plan for District Jhansi Uttar Pradesh



**Collectorate-Jhansi, District- Jhansi (U.P.)**  
**Address: District Magistrate Office, Civil Line, Jhansi**  
**Jhansi-284001 (U.P.)**  
**E-mail:dmjhs@nic.in**

## Contents

District Profile .....	4
a. District Administrative Set-up .....	4
b. Local institutions .....	4
c. Natural Resources .....	4
▪ Water bodies .....	4
▪ Availability of water resources .....	4
▪ Forest coverage .....	4
d. Geography & Demography .....	4
e. Land-use patter .....	4
f. Climate .....	5
2.0 Indicative Gap Analysis and Action Plans for complying with Waste Management Rules .....	5
(i) Solid Waste Management .....	5
a. Current status related to solid Waste management .....	5
b. Identification of gaps and Action plan .....	5
(ii) Plastic waste Management .....	9
(a) Current status related to Plastic waste management .....	9
(b) Identification of gaps and Action plan .....	9
(iii) C & D Waste Management .....	11
▪ a. Current status related to C & D Waste .....	11
b. Identification of gaps and Action plan .....	11
(iv) Biomedical Waste Management .....	13
a. Current Status related to biomedical waste .....	13
b. Identification of gaps and Action plan .....	13
(v) Hazardous Waste Management .....	15
a. Current Status related to Hazardous Waste Management .....	15
b. Identification of gaps and action plan .....	15
(vi) E-Waste Management .....	17
a. Current Status related to E-Waste Management .....	17
b. Identification of gaps and action plan .....	17
3.0 Air Quality Management .....	18
a. Current Status related to Air Quality Management .....	18
b. Identification of gaps and action plan .....	19
4.0 Water Quality Management .....	21
4.1 Water Quality Monitoring .....	21

Current Status related to Water Quality Management 21

- a. Identification of gaps and action plan for water quality monitoring..... 21
- 4.2 Domestic Sewage..... 23
  - a. Identification of gaps and action plan for treatment of domestic sewage ..... 23
  - b. Identification of gaps and action plan for treatment of domestic sewage ..... 23
- 5.0 Industrial wastewater management ..... 24
  - a. Current Status related to Industrial Wastewater Management..... 24
  - b. Identification of gaps and action plan for industrial wastewater..... 24
- 6.0 Mining Activity Management plan ..... 25
  - a. Current Status related to Mining Activity Management ..... 25
  - b. Identification of gaps and action plan ..... 25
- 7.0 Noise Pollution Management plan ..... 26
  - a. Current Status related to Noise Pollution Management ..... 26
  - b. Identification of gaps and action plan ..... 26

## District Profile

Jhansi is a part of Bundelkhand division. It is located on the south-western part of Uttar Pradesh. The district is bordered on the north by Jalaun District, to the east by Hamirpur and Mahoba District, to the south by Tikamgarh District of Madhya Pradesh and to the south west by Lalitpur District. Jhansi district has an area of 5024 sq.km. The district has a population of 19,98,603 with population density of 398 persons per sq. km. The district has been divided into two topographic categories e.g. north-eastern plains and south-west hilly terrains. The district has four major rivers Dhasam, Sukhna, Lakheri, Betwa and Palnui. The district has an average elevation of 284 meters (935 feet). Geologically, it is comparatively level; a low lying and fertile tract. It has the general appearance of a plain dotted with isolated low and rocky hills. The district has an irregular boundary. It is well connected to all other major towns in Uttar Pradesh by road and railway networks. It is about 415 km from Delhi and 292 km from Lucknow, and is known as the gateway to Bundelkhand. Three national highways NH-3, NH 25 and NH-76 pass through the district.

The District Jhansi is administratively divided into 8 blocks namely Baragaon, Chirgaon, Moth, Gursarai, Bamaur, Mauranipur, Babina and Bangra with 5 Tehsils, 894 Villages and 496 Gram Sabha. The major lakes and reservoirs in the district are Kachneo lake, Arjar lake, Barwar lake Barwasagar lake, Magarpur lake, Siaori lake, Magarwara lake and Pachwara lake, important dams area Pahnui, Dongri, Paricha, Dhukriwan, Pahari, Saprar, Lahchura and Khprar. The early history of the Jhansi district is connected with the region, which was known at different times as Chedidesha, Chedi-rashtra or Chedi Janapada, Jejakbhukti, Jejahuti or Jajhoti and Bundelkhand. The region seems to have been inhabited by certain primitive group like the Bheels, Kols, Saheriyas, Gonds, Bhars, Bangars, and Khungars. Jhansi was a stronghold of the Chandela kings. Balwant Nagar was the name of this place but in 11th century Jhansi lost its importance. In 17th century under Raja Bir Singh Deo of Orchha Jhansi again rose to prominence. Raja Bir Singh Deo had good relations with the Mughal Emperor Jehangir. In 1613 Raja Bir Singh Deo constructed the Jhansi fort. He died in 1627. After his death his son Juhar Singh succeeded him. He called this fort as 'Jhansi', which in course of this time become corrupted to Jhansi. The district of Jhansi was formed as a separate unit of revenue administration by the British when they annexed it in 1854 and brought it under their administration. The district then consisted of nine parganas, Vijaigarh being one of them which made up the domain of Jhansi that had lapsed to the British. The district of Lalitpur, which came under the British administration in 1860, but continued to be a separate district till 1891 was also merged in Jhansi and it formed a sub division. Size of district is 5024 Sq. Km. and its rank in State 27. The latitude of Jhansi, Uttar Pradesh, is 25.436298, and the longitude is 78.567352. Jhansi, Uttar Pradesh, is located at India country in the Cities place category with the GPS coordinates of 25° 26' 10.6728" N and 78° 34' 2.4672" E.

The district is bordered on the north by Jalaun District, to the east by Hamirpur and Mahoba districts, to the south by Tikamgarh District of Madhya Pradesh state, to the southwest by Lalitpur District, which is joined to Jhansi District by a narrow corridor, and on the east, by the Datia and Bhind districts of Madhya

## a. District Administrative Set-up



## Revenue/Administration

Name	Designation	Contact No.
Dr. Ajay Shankar Pandey	Commissioner, Jhansi Division	0510-2443313
Mr Ravindra Kumar	District Magistrate, Jhansi	0510-2470556
Mr. Shailesh Kumar	Chief Development Officer, Jhansi	0510-2440335
Mr. Avanish Kumar Rai	Municipal Commissioner, Nagar Nigam Jhansi	8808053861
Mr.	ADM (F & R)	9454417618
Mr. Sarvesh Kumar	Vice Chairman, Jhansi Development Authority	9450382928
Mr Tribhuvan Vishvkarma	Secretary, Jhansi Development Authority	9506034777

## b. Local Institutions

Local Bodies	
Nagar Nigam	- 01
Nagar Palika Parishad	- 05
Nagar Panchayat	- 07
Cantonment Board	- 02

S.No.	Tehsil - 05
1	Jhansi
2	Mauranipur
3	Garautha
4	Tehroli
5	Moth

S.No.	Block - 08
1	Babhna
2	Badagaon
3	Bamaur
4	Bangra
5	Chirgaon
6	Gursarai
7	Mauranipur
8	Moth

Panchayat	- 65
No. of Gram Panchayat	- 496
No. of Villages	- 839

c. **Natural Resources**

• **Water bodies**

The rivers of the district and their tributaries generally run from the south to the north and the north-east, the whole of the district is well drained so that there are no areas that suffer from water stagnation. The rivers are still active and grading their courses and adjusting themselves from the underlying structure. Although the depending process is restricted to the harder gneissic bed-rocks the widening process has removed the upper black soil layer and has carved out deep ravines in the adjacent softer stratum.

There are four principal rivers in the district- Betwa, Dhasan, Sukhni, Lakheri and Pahuj as well as a number of minor streams which flow from Vindhyan tableland to north and north-east.

• **Availability of water resources**

The Bundelkhand region of Uttar Pradesh lies between the Yamuna River and the northern part of the Vindhyan ranges. It is spread over an area of 29,000 square kilometers and is home to 7.8 million people. It receives water from perennial rivers including the Yamuna, Ken, Betwa, Sindh, and Pahuj rivers. Over 75 percent of the population depends on agriculture for their primary livelihood, with 96 percent of the income generated from agriculture and livestock collectively.

• **Forest coverage**

National Forest Policy, 1988 envisages minimum of 33% of geographical area under forest and tree cover. In continuation, section-2.4 of State Forest Policy 2017 of Uttar Pradesh provide for increase in greenery by promoting plantation as mass movement by engaging different sections of society as students, ladies, farmers, differently able persons, ex army men, BPL families and forest dependent communities.

Jhansi is among one of the greenest city of Uttar Pradesh. Total geographical area of District Jhansi is 5024 sq km out of that 33.494 sq km is forest area. Mahoba & Jaloun, Hamirpur & Lalitpur of U.P., Datiya, Shivpuri, & Niwadi of M.P. falls within boundaries of Jhansi Forest Division. It is home of diverse flora and fauna. Forests have mixed plant species like Karbhari, Sheesham, Teak, Chilbill, Arjun, Aru & Khair, etc.

The Forests form the habited for wild animals like Hayna, Nilgai, Jackals and various kinds of Serpents.

The Forests also carry many bird species like eagles, Peacocks, Doves, Cuckoo, Hornbills, Parakeats etc. Forest area of district Jhansi lies mostly along the Betwa, Dhasau & Pahuj river which is lifeline of Jhansi district.

According to India State of Forest Report-2019, the forest cover of Uttar Pradesh is 14,805.65 square kilometers which is 6.15% of state's geographical area. In terms of forest canopy density classes, the state has 2616.43 sq kms under very dense forest (VDF), 4080.04 sq kms under moderately dense forest (MDF) and 8109.18 sq kms under Open Forest (OF). Forest cover in the state has increased by

126.65 sq kms as compared to the previous assessment report (2017). During 2015 to 2019 according to Forest Survey of India report. Forest/Tree cover of district Jhansi has increased from 4.26% to 6.05%.

To achieve the goals envisaged in the State Forest Policy, 2019 ; Government Order No 881/81-5/2019-03/2019 dated 21<sup>st</sup> November, 2019 has allotted targets of plantation to different departments for the year 2020-21, 2021-22 and 2022-23 during The year 2020-21 50.09 lakh Plant were planted against the target of 49.78 lakhs. Out of this, 18.96 lakh saplings were planted by Forest Department while 31.13 lakh saplings were planted by other departments.

DEC continuously monitors the frontward survival of plants through inter departmental checking. Third party monitoring of plantations of the year 2019 was also done by Forest Survey of India.

d. **Geography & Demography**  
**Geography**

Several railway lines serve the district South of Jhansi District lies the hill country of Bundelkhand, which slopes down from the Vindhya Range. The district consists of the level plain of Bundelkhand, distinguished for its deep black soil, known as *mar*, and admirably adapted for the cultivation of cotton. The district is intersected or bounded by three principal rivers, the Paluj, Berwa and Dhasan. The main city in Jhansi district is Jhansi. Other towns are Maurampur, Garautha, Moth, Babina, Chirgaon, Samthar Gursarai Erich, etc.

**Demography**

According to the 2011 census Jhansi district has a population of 1,998,603, roughly equal to the nation of Slovenia or the US state of New Mexico. This gives it a ranking of 231st in India (out of a total of 640). The district has a population density of 398 inhabitants per square kilometer (1,030/sq mi). Its population growth rate over the decade 2001-2011 was 14.54%. Jhansi has a sex ratio of 890 females for every 1000 males, and a literacy rate of 69.68%. At the time of the 2011 Census of India, 98.76% of the population in the district spoke Hindi and 0.50% Urdu as their first language.

Actual Population	1,998,603	Population growth	14.54%
(a) Male	1,057,436	Area Sq. Km	502.4
(b)Female	941,167	Density/Km <sup>2</sup>	33.494
Average literacy	75.05	Total child population (0-6 Year)	260,373
(a)Male literacy	85.38	(a)Male(0-6 year)	139,559
(b)Female literacy	63.49	(b)Female(0-6 year)	120,814
Literates	1,304,513	Sex ratio(per 1000)	890
(a)Male	783,705	Child sex ratio(0-6 year)	866
(b)Female	520,808	Child proportion	13.03%

e. **Land-use pattern**

Land use pattern is largely influenced by the available irrigation facilities, which ultimately affect the economy of the area. Irrigation facilitates the intensive use of land resources and results in the increase of Gross Cropped Area and also improves the intensity.

S. No.	Particulars	Jhansi
1.	Total Geographic area(,000 ha)	501.3
2.	Forest(,000 ha)	34.4
3.	Cultivable area(,000 ha)	332.3
4.	Land non agricultural use(,000 ha)	42.3
5.	Permanent pasture(,000 ha)	0.7
6.	Cultivable wasteland(,000 ha)	-
7.	Land under misc use(,000 ha)	0.7
8.	Barren and uncultivable land(ha)	-
9.	Current fallows(,000 ha)	62.2
10.	Other fallows(,000 ha)	7.6
11.	Net sown area(,000 ha)	332.3
12.	Area sown more than once(,000 ha)	-
13.	Gross cropped area(,000 ha)	432.4
14.	Crop-intensity	130.14

#### f. Climate

Being on a rocky plateau, Jhansi experiences extreme temperatures. Winter begins in October with the retreat of the southwest monsoon (Jhansi does not experience any rainfall from the Northeast Monsoon) and peaks in mid-December. Temperatures are about 4 °C or 39.2 °F minimum and 21 °C or 69.8 °F maximum. Spring arrives by the end of February and is a short-lived phase of transition. Summer begins by April and summer temperatures can peak at 47 °C or 116.6 °F in May. The rainy season starts by the third week of June (although this is variable year to year), while the monsoon rains gradually weaken in September and end before the last week of September. In the rainy season, the average daily high temperature hovers around 36 °C or 96.8 °F with high humidity. The average rainfall for the city is about 850 millimetres or 33 inches per year, occurring almost entirely within the three-and-a-half months of the Southwest Monsoon. In summer Jhansi experiences temperatures as high as 45 to 47 °C (113.0 to 116.6 °F) degrees while in winter the temperatures can fall as low as 0 to 1 °C (32.0 to 33.8 °F) as recorded in winter 2011.

### 2.0 Indicative Gap Analysis and Action Plans for complying with Waste Management Rules

#### (i) Solid Waste Management

##### a. Current status related to solid Waste management

S. No	Urban Local bodies	No of Wards	No of Households	Population	Solid Waste Generated per day
1	<b>Nagar Nigam - 01</b>				
	Nagar Nigam, Jhansi	60	124000	600000	250.0 MPD
2	<b>Nagar Palika Parishad - 05</b>				
	Nagar Palika Parishad, Samthar, Jhansi	25	3836	28068	4.90 TPD
	Nagar Palika Parishad, Baruasagar, Jhansi	25	4334	32281	8.00 TPD
	Nagar Palika Parishad, Mauranipur, Jhansi	25	14625	70457	11.94 TPD
	Nagar Palika Parishad, Gursrai, Jhansi	25	7610	32524	5.75 TPD
	Nagar Palika Parishad, Chirgaon, Jhansi	25	4130	20236	4.50 TPD
3	<b>Nagar Panchayats - 07</b>				
	Nagar Panchyat, Moth, Jhansi	12	3035	15692	2.55 TPD
	Nagar Panchyat, Garohta, Jhansi	10	3029	16392	1.86 TPD
	Nagar Panchyat, Todifathepur, Jhansi	11	2277	14822	2.21 TPD
	Nagar Panchyat, Ranipur, Jhansi	14	4408	21939	3.00 TPD

	Nagar Panchyat, Badagaon, Jhansi	10	2052	10130	1.62 TPD
	Nagar Panchyat, Erich, Jhansi	10	2714	10956	1.98 TPD
	Nagar Panchyat, Katera, Jhansi	10	1838	9114	1.36 TPD
<b>4</b>	<b>Cantonment Board - 02</b>				
	Cantonment Board Jhansi, Jhansi	07	1547	28343	12.0 TPD
	Cantonment Board Baina, Jhansi	07	2605	27852	4.5 TPD

S. No.	Urban Local bodies	No of Village panchayats / Blocks	No of House holds	Population	Solid Waste Generated per day
1	Babina	56	34999	209976	41995
2	Badagaon	47	26176	134060	26812
3	Bainaur	66	30533	143966	28793
4	Bangra	59	34901	193606	38721
5	Chirgaon	63	36324	189265	37853
6	Gursarai	72	35062	182960	36592
7	Mauranipur	66	30010	179580	35916
8	Moth	67	41552	229793	45958
	Total-08	496	-	-	-

**b. Identification of gaps and Action plan:**

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timelin e for complet ion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
1	<b>Segregation</b>						
(i)	Segregation of waste at source	Whether segregation at source practiced by households and other waste generators	Action plan to achieve segregation at source. Awareness programs, incentives, etc. may be considered	-	-	A G Enviro Pvt Ltd./ Jhansi Smart City Ltd	Yes, compliance is being done
				25 Lakh	20 Lakh	ULB NPP Barusa gar	
				25 Lakh	No	Cantonment Board, Babina	March 2022
				49 Lakh	44 Lakh	ULB NPP Gursrai	

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
				21 Lakh	16 Lakh	ULB NP Tondi Fatehpur	
				18 Lakh	12 Lakh	ULB NP Erach	
				13.75 Lakh	8.75 Lakh	ULB NP Katera	
				15 Lakh	10 Lakh	ULB NP Baragon	
				35 Lakh	29 Lakh	ULB NPP Chiragon	
				40 Lakh	30 Lakh	ULB NP Ranipur	
				47 Lakh	42 Lakh	ULB NPP Samthar	
				5.03 Cr.	4.98 Cr.	ULB NPP Mauraipur	
				20 Lakh	15 Lakh	ULB NP Moth	
				20 Lakh	-	Cantt. Board Jhansi	Contingent on Availability of fund
				15 Lakh	10 Lakh	ULB NP Garautaha	
2	Sweeping						

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
(i)	Manual Sweeping	- Example: % or length of road not covered for regular sweeping - Gaps in manpower - Gap in availability of sweeping tools/ equipment Availability of suitable PPEs	Action plan for reducing gap including method cleaning, frequency of sweeping etc.	-	-	Jhansi Municipal Corporation	Yes, Compliance is being done
				50 Lakh	45 Lakh	ULB NPP Baruasagar	
				25 Lakh	No	Cantt. Board, Babina	March 2023
				40 Lakh	35 Lakh	ULB NPP Gursrai	
				20 Lakh	15 Lakh	ULB NP Tondi Fatehpur	
				18 Lakh	12 Lakh	ULB NP Erach	
				12 Lakh	7.80 Lakh	ULB NP Katera	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Baragaoon	
				30 Lakh	25 Lakh	ULB NPP Chirgaoon	
				75 Lakh	71 Lakh	ULB NP Ranipur	
				41 Lakh	36 Lakh	ULB NPP Santhar	
				4.20 Cr.	4.14 Cr.	ULB NPP Mauranipur	

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
				15 Lakh	12 Lakh	ULB NP Moth	
				20 Lakh	-	Cantt. Board Jhansi	Contingent on Availability of fund
				25 Lakh	20 Lakh	ULB NP Garautha	
(ii)	Mechanical Road Sweeping & Collection	Gaps if any in achieving targeted area or length of road identified for Mechanical Road Sweeping.	Projected growth / intended action plan with timelines	-	-	Jhansi Municipal Corporation	50% Achieved . Rest 50 % will be achieved by the machines which will be procured by ULB's own resources
				NA	NA	Barnasagar	NA
				25 Lakh	No	Cantt. Board, Babina	March 2022
				NA	NA	Gursarai	NA
				NA	NA	Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	Erach	NA
				NA	NA	Katera	NA
				NA	NA	Badagao ii	NA
				NA	NA	Chirgao ii	NA
				-	-	Ranipur	-
				NA	NA	Samthar	NA
				NA	NA	Mauranipur	NA
				NA	NA	Moth	NA
				10 Lakh	-	Cantt. Board, Jhansi	Contingent on Availability

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeliness for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
				NA	NA	Garautha	ty of fund NA
3	Waste Collection						
(i)	100% collection of solid waste	Whether 100% collection achieved?	Action plan to improve existing collection	-	-	A G Enviro Pvt Ltd./ Jhansi Smart City Ltd	Yes, Compliance is being done
				50 Lakh	45 Lakh	ULB NPP Baruasagar	
				NA	NA	Cantt Board Babina	NA
				44 Lakh	39 Lakh	ULB NPP Gursarai	
				20 Lakh	17 Lakh	ULB NP Tondi Fatehpur	
				25 Lakh	15 Lakh	ULB NP Erach	
				13 Lakh	8.50 Lakh	ULB NP Katera	
				25 Lakh	15 Lakh	ULB NP Badagao n	
				34 Lakh	29 Lakh	ULB NPP Chirgao n	
				40 Lakh	30 Lakh	ULB NP Ranipur	
				45 Lakh	40 Lakh	ULB NPP Samthar	
				4.07 Cr.	4.97 Cr.	ULB NPP Maurani pur	
				20 Lakh	15 Lakh	ULB NP	

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
				2 Lakh	-	Moth Cantt Board Jhansi	Contingent on Availability of Fund
				20 Lakh	15 Lakh	ULB NP Garautha	
(ii)	Arrangement for door to door collection	Arrangement for door to door provided: % of blocks/wards covered	If there is gap, action plan for door to door collection across the district	-	-	A G Enviro Pvt Ltd./ Jhansi Smart City Ltd	Yes, Compliance is being done
						ULB NPP Baruasagar	
				NA	NA	Cantt Board Babina	
						ULB NPP Gursarai	
						ULB NP Tondi Fatehpur	
						ULB NP Erach	
				NA	NA	ULB NP Katera	
				NA	NA	ULB NP Badagao n	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgao n	NA
				NA	NA	ULB NP Ranipur	NA
				NA	NA	ULB NPP Samthar	NA
				NA	NA	ULB	NA

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
						NPP Maurani pur	
			NA	NA		ULB NP Moth	NA
			50 Lakh	-		Cantt Board Jhansi	Contingent on Availability of Fund
			NA	NA		ULB NP Garautha	
(iii)	Waste Collection trolleys with separate compartments	Check availability and adequacy and if it needs upgradation	Action plan for procurement if required	-	-	Jhansi Smart City Ltd	Yes, Compliance is being done
				42 Lakh	28 Lakh	ULB NPP Baruasa gar	
				NA	NA	Cantt Board Babina	
				42 Lakh	21 Lakh	ULB NPP Gursarai	
				28 Lakh	21 Lakh	ULB NP Tondi Fatehpur	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Erach	
				NA	28 Lakh	ULB NP Katera	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Badagao n	
				21 Lakh	14 Lakh	ULB NPP Chirgao n	
				35 Lakh	28 Lakh	ULB NP Ranipur	
				42 Lakh	28 Lakh	ULB	

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
						NPP Samthar	
				1.65 Cr.	1.15 Cr.	ULB NPP Maurani pur	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Moth	
				5 Lakh	-	Cantt Board Jhansi	Contingent on Availability of Fund
				28 Lakh	21 Lakh	ULB NP Garautha	
(iv)	Mini Collection Trucks with separate compartments	Check if adequate or needs upgradation or not required	[Action plan for procurement if required]	-	-	Jhansi Smart City Ltd	Yes, Compliance is being done
				42 Lakh	28 Lakh	ULB NPP Baruasagar	
				12 Lakh	-	Cantt Board Babina	
				42 Lakh	21 Lakh	ULB NPP Gursarai	
				28 Lakh	21 Lakh	ULB NP Tondi Fatehpur	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Erach	
				NA	28 Lakh	ULB NP Katera	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Badagaon	
				21 Lakh	14 Lakh	ULB NPP Chirgaon	

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
				35 Lakh	28 Lakh	ULB NP Ranipur	
				42 Lakh	28 Lakh	ULB NPP Samthar	
				1.65 Cr.	1.15 Cr.	ULB NPP Maurani pur	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Moth	
				-	-	Cantt Board Jhansi	Contingent on Availability of Fund
				28 Lakh	21 Lakh	ULB NP Garautha	
(v)	Waste Deposition centres (for domestic hazardous wastes).	Number of deposition centres required and nos available Or Any alternate arrangement.	Details of existing practice and scope for improvement or implement adequate system	-	-	Jhansi Smart City Ltd	Under Process
				NA	NA	ULB NPP Baruasagar	NA
				5 Lakh	-	Cantt Board Babina	
				NA	NA	ULB NPP Gursarai	
				NA	NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	ULB NP Erach	NA
				NA	NA	ULB NP Katera	NA
				NA	NA	ULB NP Badagao n	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgao	NA

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
						ULB NP Ranipur	NA
						ULB NPP Samthar	NA
						ULB NPP Maurami pur	NA
						ULB NP Moth	NA
						Cantt Board Jhansi	Contingent on Availability of Fund
						ULB NP Garautha	NA
4.	Waste Transport						
(i)	Review existing infrastructure for waste Transport.	[Check 14 whether existing fleet is adequate (ii) check whether segregated waste transport possible, etc.]	Action plan for short-comings identified.	-	-	Jhansi Smart City Ltd	Yes, Refuse Compactor, Dumper Tipper, Dumper Placer, Tractor are using for waste Transport.
				20 Lakh	15 Lakh	ULB NPP Baruasagar	
				NA	NA	Cantt Board Babina	
				19 Lakh	14 Lakh	ULB NPP Gursarai	

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Tondi Fatehpur	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Erach	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Katera	
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Badagao n	
				15 Lakh	10 Lakh	ULB NPP Chirgao n	
				34 Lakh	24 Lakh	ULB NP Ranipur	
				20 Lakh	15 Lakh	ULB NPP Samthar	
				2.50 Cr.	2.30 Cr.	ULB NPP Maurani pur	
				10 Lakh	7 lakh	ULB NP Moth	
				-	-	Cantt Board Jhansi	-
				10 Lakh	5 Lakh	ULB NP Garautha	
(ii)	Bulk Waste Trucks	[check adequacy]	[action plan for procurement if required]	-	-	Jhansi Smart City Ltd	Yes, Compliance is being done
				NA	NA	ULB NPP Baruasagar	NA
				NA	NA	Cantt Board Babina	
				NA	NA	ULB NPP	

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
						Gursarai	
				NA	NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	ULB NP Erach	NA
				NA	NA	ULB NP Katera	NA
				NA	NA	ULB NP Badagao n	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgao n	NA
				NA	NA	ULB NP Ranipur	NA
				NA	NA	ULB NPP Samthar	NA
				NA	NA	ULB NPP Maurani pur	NA
				NA	NA	ULB NP Moth	NA
				-	-	Cantt Board Jhansi	-
				NA	NA	ULB NP Garautha	NA
(iii)	Waste Transfer points	[check whether available / adequacy]	[action plan for installation if required]	-	-	Jhansi Smart City Ltd	2 Transfer station are proposed. Tender has been published under Jhansi Smart city Ltd.
				NA	NA	ULB	NA

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
						NPP Baruasagar	
				NA	NA	Cantt Board Babina	
				NA	NA	ULB NPP Gursarai	NA
				NA	NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	ULB NP Erach	NA
				NA	NA	ULB NP Katera	NA
				NA	NA	ULB NP Badagao n	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgao n	NA
				NA	NA	ULB NP Ranipur	NA
				NA	NA	ULB NPP Samthar	NA
				NA	NA	ULB NPP Maurani pur	NA
				NA	NA	ULB NP Moth	NA
				-	-	Cantt Board Jhansi	-
				NA	NA	ULB NP Garautha	NA
5	Waste Treatment and Disposal						
(i)	Wet-waste Management:	Whether number of	Action for getting onsite	-	-	Jhansi Munici	Yes,

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
	On-site composting by bulk waste generators (Authority may decide on requirements as per Rules)	bulk waste generators identified for installation	composting plants commissioned			pal Corporation	Compliance is being done
NA				NA	ULB NPP Baruasagar	NA	
NA				NA	Cantt Board Babina		
NA				NA	ULB NPP Gursarai		
NA				NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA	
NA				NA	ULB NP Erach	NA	
NA				NA	ULB NP Katera	NA	
NA				NA	ULB NP Badagao	NA	
NA				NA	ULB NPP Chirgao	NA	
NA				NA	ULB NP Ranipur		
NA				NA	ULB NPP Santhar	NA	
NA				NA	ULB NPP Maurani pur	NA	
NA				NA	ULB NP Moth	NA	
					Cantt Board Jhansi		
NA				NA	ULB NP Garautha	NA	

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timelin e for complet ion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
(ii)	Wet-waste Management: Facility(ies) for central Biomethanation / Composting ofwets waste.	Whether facility exists / functional / needs upgradation?	If not action plan for developing / upgradation of bio-methanation or composting facility	-	-	Jhansi Municipal Corporation	DPR has been sanctioned by High power sanctioned committee, Govt. of Uttar Pradesh
				45 Lakh	34 Lakh	ULB NPP Baruasagar	
				NA	NA	Cantt Board Babina	
				12 Lakh	7 Lakh	ULB NPP Gursarai	
				28 Lakh	23 lakh	ULB NP Tondi Fatehpur	
				20 Lakh	15 lakh	ULB NP Erach	
				12 Lakh	7 Lakh	ULB NP Katera	
				20 Lakh	15 Lakh	ULB NP Badagao n	
				50 Lakh	40 Lakh	ULB NPP Chirgao n	
				31 Lakh	21 Lakh	ULB NP Rampur	
				20 Lakh	NA	ULB NPP Samthar	
				20 Lakh	12 Lakh	ULB NPP Maurani pur	

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
				20 Lakh	15 lakh	ULB NP Moth	
				67 Lakh	-	Cantt Board Jhansi	Contingent on Availability of Fund
				20 Lakh	-	ULB NP Garautha	
(iii)	Dry-Waste Management: Material Recovery for dry-waste fraction	Whether MRF facility exists? / is there any arrangement to sending the dry- waste to any common MRF or sent to Waste to energy plant or % dry-waste converted as RDF or Need to set-up own Waste to Energy plant?	Action plan for use of dry segregated waste in MRF operation	-	-	Jhansi Municipal Corporation	Yes, Plastic waste Management Plant is in operational and MRF center has been developed. Dry waste processing Plant (Plastic to Fuel) DPR has been prepared by RCUES Lucknow
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NPP Baruasagar	
				1.5 Crore	No	Cantt Board Babina	
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NPP Gursarai	

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NP Tondi Fatehpur	
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NP Erach	
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NP Katera	
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NP Badagaon	
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NPP Chirgaon	
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NP Ranipur	
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NPP Samthar	
				60 lakh	50 Lakh	ULB NPP Maurani pur	
				60 lakh	50 Lakh	ULB NP Moth	
				85 lakh	-	Cantt Board Jhansi	Contingent on Availability of Fund
				60 Lakh	50 Lakh	ULB NP Garautha	
(iv)	Disposal of inert and non-recyclable wastes: Sanitary Landfill	Does the agency still disposing waste in dumpsites? Whether sanitary landfill available? / Plan for constructing sanitary landfill or	Action plan (i) to construct sanitary landfill If required (ii) Action plan to minimise landfilling	-	-	Jhansi Municipal Corporation	DPR has been sanctioned. Compliance is in under Process
				NA	NA	ULB NPP Bariasagar	
				50 Lakh	No	Cantt	

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
		arrangement with ULBs				Board Babina	
			NA	NA		ULB NPP Gursarai	NA
			NA	NA		ULB NP Tondi Fatehpur	NA
			NA	NA		ULB NP Erach	NA
			NA	NA		ULB NP Katera	NA
			NA	NA		ULB NP Badagao	NA
			NA	NA		ULB NPP Chirgao	NA
			NA	NA		ULB NP Ranipur	NA
			NA	NA		ULB NPP Samthar	NA
			NA	NA		ULB NPP Maurani pur	NA
			NA	NA		ULB NP Moth	NA
						Cantt Board Jhansi	
			NA	NA		ULB NP Garautha	NA
(v)	Remediation of historic legacy dumpsite	Whether existing old dumpsite if any required remediation as per rules?	Action plan for remediation of legacy historic dumpsite	-	-	Jhansi Municipal Corporation	DPR has been sanctioned. Compliance is in under Process
				NA	NA	ULB NPP	NA

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
						Baruasagar	
				NA	NA	Cantt Board Babina	
				NA	NA	ULB NPP Gursarai	NA
				NA	NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	ULB NP Erach	NA
				NA	NA	ULB NP Katera	NA
				NA	NA	ULB NP Badagaon	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgaon	NA
				NA	NA	ULB NP Ranipur	NA
				NA	NA	ULB NPP Samthar	NA
				NA	NA	ULB NPP Mauranipur	NA
				NA	NA	ULB NP Moth	NA
						Cantt Board Jhansi	
				NA	NA	ULB NP Garautha	NA
(vi)	Involvement of NGOs	Whether involvement of NGOs envisaged	NGOs can be involved for management of solid waste campaign	-	-	Jhansi Municipal Corporation	Yes, Compliance is being done
				NA	NA	ULB	

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
						NPP Baruasagar	
				15 Lakh	No	Cantt Board Babina	
				NA	NA	ULB NPP Gursarai	NA
				NA	NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	ULB NP Erach	NA
				NA	NA	ULB NP Katera	NA
				NA	NA	ULB NP Badagao n	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgao n	NA
				NA	NA	ULB NP Ranipur	NA
				NA	NA	ULB NPP Samthar	NA
				NA	NA	ULB NPP Maurani pur	NA
				NA	NA	ULB NP Moth	NA
				-	-	Cantt Board Jhansi	
				NA	NA	ULB NP Garautha	NA
(vii)	EPR of Producers. Linkage with Producers / Brand Owners	As per rules, producers and brand-owners should facilitate in	Action plan for linkage of all producers/brand owners or their PROs for	-	-	Action has been taken by the State	Action has been taken by the State Govt.

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
		collection of packaging waste	collection of plastic waste	NA	NA	Govt. ULB NPP Baruasagar Cantt Board Babina	
				NA	NA	ULB NPP Gursarai	NA
				NA	NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	ULB NP Erach	NA
				NA	NA	ULB NP Katera	NA
				NA	NA	ULB NP Badagao n	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgao n	NA
				NA	NA	ULB NP Ranipur	NA
				NA	NA	ULB NPP Samthar	NA
				NA	NA	ULB NPP Maurani pur	NA
				NA	NA	ULB NP Moth	NA
				-	-	Cantt Board Jhansi	
				NA	NA	ULB NP Garautha	NA
(viii)	Authorisation of Waste Pickers	Yes/No	List of authorised waste pickers	-	-	Jhansi Municipal	Yes, Compliance is

S. No	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
			should be available			Corporation	being done
				NA	NA	ULB NPP Baruasagar	
						Cantt Board Babina	
				NA	NA	ULB NPP Gursarai	NA
				NA	NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	ULB NP Erach	NA
				NA	NA	ULB NP Katera	NA
				NA	NA	ULB NP Badagao n	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgao n	NA
				NA	NA	ULB NP Ranipur	NA
				NA	NA	ULB NPP Samthar	NA
				NA	NA	ULB NPP Maurani pur	NA
				NA	NA	ULB NP Moth	NA
				-	-	Cantt Board Jhansi	
				NA	NA	ULB NP Garautha	NA
(ix)	Preparation of own by-laws to	Yes/No	If not prepared action plan for	-	-	Jhansi Municipi	Yes. Complia

S. No.	Action points For villages / blocks/ town municipalities / City corporations	Identification of gap	Action Plan			Responsible agencies	Timeline for completion of action plan
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
	comply with SWM Rules 2016		preparation of by-laws which may be applicable in cantonment Board jurisdiction			pal Corporation	nce is being done
				NA	NA	ULB NPP Baruasagar	
						Cantt Board Babina	
				NA	NA	ULB NPP Gursarai	NA
				NA	NA	ULB NP Tondi Fatehpur	NA
				NA	NA	ULB NP Erach	NA
				NA	NA	ULB NP Katera	NA
				NA	NA	ULB NP Badagao n	NA
				NA	NA	ULB NPP Chirgao n	NA
				NA	NA	ULB NP Ranipur	NA
				NA	NA	ULB NPP Samthar	NA
				NA	NA	ULB NPP Maurani pur	NA
				NA	NA	ULB NP Moth	NA
				-	-	Cantt Board Jhansi	
				NA	NA	ULB NP Garautha	NA

## (ii) - Plastic waste Management

## (a) Current status related to Plastic waste management

S.No.	Urban Local bodies	Estimated quantity of Plastic Waste Generated per day
1	Nagar Nigam - 01	
	Nagar Nigam, Jhansi	36.0 TPD
2	Nagar Palika Parishad - 05	
	Nagar Palika Parishad, Samthar, Jhansi	0.34 MTP
	Nagar Palika Parishad, Baruasagar, Jhansi	0.60 MTP
	Nagar Palika Parishad, Mauranipur, Jhansi	0.83 MTP
	Nagar Palika Parishad, Gursrai, Jhansi	0.35 MTP
	Nagar Palika Parishad, Chirgaon, Jhansi	0.32 MTP
3	Nagar Panchayats - 07	
	Nagar Panchyat, Moth, Jhansi	0.20 MTP
	Nagar Panchyat, Garotha, Jhansi	0.13 MTP
	Nagar Panchyat, Todifathepur, Jhansi	0.15 MTP
	Nagar Panchyat, Ranipur, Jhansi	0.21 MTP
	Nagar Panchyat, Badagaon, Jhansi	0.20 MTP
	Nagar Panchyat, Erich, Jhansi	0.00 MTP
	Nagar Panchyat, Katera, Jhansi	0.09 MTP
4	Cantonment Board - 02	
	Cantonment Board Jhansi, Jhansi	0.04 MTP
	Cantonment Board Baina, Jhansi	0.00 MTP

S.No.	Rural Local Bodies	Estimated quantity of Plastic Waste Generated per day
1	Babina	Not Available
2	Badagaon	Not Available
3	Bamaur	Not Available
4	Bangra	Not Available
5	Chirgaon	Not Available
6	Gursarai	Not Available
7	Mauranipur	Not Available
8	Moth	Not Available
	Total-08	

## (b) Identification of gaps and Action plan:

S. No	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities /corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
1.	Door to Door collection of dry waste including PW	[100%]/ [partial %] / [not initiated]	If not 100 %, action plan for door to door collection of SW	-	-	Jhansi Municipal Corporation	Door to Door collection of dry waste

S. No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities /corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
							including PW has been executed by the corporation
2.	Facilitate organised collection of PW at Waste transfer point or Material Recovery Facility	This infrastructure is linked to SW management. May check gaps with respect to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Availability of transfer points and material recovery facility</li> <li>• Involvement of informal sector / NGO.</li> <li>• Registering waste pickers</li> <li>• Linkage with PW recyclers</li> </ul> Involvement of producers and brand-owners	Within the district outline specific plans for Each village panchayat/block/ municipality / Nagar panchayat / Corporations for plastic waste collection	-	-	Jhansi Municipal Corporation	Yes, Compliance is being done
3.	PW collection Centres	Local Bodies may set-up own centres and also involve producers and brand-owners or their PROs to facilitate setting up of collection centres.	Plastic waste collection centre should be established in adequate numbers.  Coordination with State Urban Department may be necessary	-	-	Jhansi Municipal Corporation	30 Collection center has been established for PW collection.
4.	Awareness and education programs implementation	Review existing gaps in creating awareness among public for minimizing and recycling PW	Education through mass media, schools, Producer / brand owner campaigns and other channels	-	-	Jhansi Municipal Corporation	NGOs has been engaged for awareness campaigns and Education programs
5.	Access to		Check if	-	-	Jhansi	Plastic

S. No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities /corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
	Plastic Waste Disposal Facilities	Check if District has access to PW recycling utilization or disposal facilities..	PW recycling facilities available at reasonable distance; Channel for sending PW collected to cement plants for processing; Availability of waste plastic oil producing facilities; Linkage with PWD for usage of PW in road making. Action plan at district should involve Urban and Rural Local bodies			Municipal Corporation	recycling / Disposal Plant running. MRF center has been developed  Dry waste processing Plant (Plastic to Fuel) DPR has been prepared by RCUES Lucknow

## (iii) C &amp; D Waste Management

## a. Current status related to C &amp; D Waste

Details of Data Requirement	Present Status
Total C & D waste generation in MT per day (As per data from Municipal Corporations / Municipalities) Jhansi Nagar Nigam, Jhansi	12 TPD
Does the District has access to C&D waste recycling facility?	Not Available

## b. Identification of gaps and Action plan:

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities /corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities /corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
1.	Arrangement for separate collection of C&D waste to C&D waste deposition point.	Check gaps w.r.t: - Separate collection point of C&D Waste - Identification of common C&D waste deposition points -	Action plan for every local body in district. District may identify common C&D waste deposition points.	-	-	Jhansi Municipal Corporation	DPR has been sanctioned by the State Govt.
2.	Whether local authority have fixed user fee on C&D waste and introduced permission system for bulk waste generators who generate more than 20 tons or more in one day or 300 tons per project in a month?	Check gaps with respect to: - Local by-laws to pay user fee - Implementation of a system to permit bulk generators (>20 tons in one day or 300 tons per project)	Common by-laws may be implemented in District. Local C&D waste management plans can be integrated to develop common collection and recycling facilities	-	-	Jhansi Municipal Corporation	Not Applicable.
3.	C&D recycling Facility	Check whether district has any C&D waste recycling facility	Action plan for setting up C&D recycling facility in the District or tie-up with any other district or ULB for setting up common facilities. Plan should ensure viable operation of C&D plant including assured market for C&D products.	-	-	Jhansi Municipal Corporation	DPR has been sanctioned by the State Govt.

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities /corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
4.	Usage of recycled C&D waste in non-structural concrete, paving blocks, lower layers of road pavements, colony and rural roads	Is there any policy on usage or promotion on usage of C&D waste?	Local authority may make give appropriate incentives on usage of C & D waste. A % of usage in public works may be specified / any other scheme.	-	-	Jhansi Municipal Corporation	DPR has been sanctioned by the State Govt.
5.	ICE on C & D waste management	Is there any sustained system of creating awareness created among local communities.	Action plan for awareness and education	-	-	Jhansi Municipal Corporation	DPR has been sanctioned by the State Govt.

## (iv) Biomedical Waste Management

## a. Current Status related to biomedical waste

Inventory of BMW in the District	Quantity
Total no. of Bedded Healthcare Facilities	182
Total no. of non-bedded HCF	230
No. of HCFs authorized by SPCBs/PCCs	156
No of Common Biomedical Waste Treatment and Disposal Facilities (CBWTFs)	01 (M/s Medical Pollution Control Committee, Bijoli, Jhansi)
Capacity of CBWTFs	100.0 Kg/Hr
No. of Deep burials for BMW if any	35
Quantity of biomedical waste generated per day	600.0 Kg/day
Quantity of biomedical waste treated per day,	100.0 %

## b. Identification of gaps and Action plan:

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
1.	Inventory and Identification of Healthcare Facilities	Check whether all HCFs including, clinics, hospitals, Veterinary hospitals, Aayush hospitals, animal houses, etc generating biomedical waste area identified and authorised by SPCBs/PCCs	Action plan for completing/up dating of inventory and Authorization of HCFs by SPCBs/ PCCs	Not Assessed	Nil	UPPCB/ CMO	Complied
2	Adequacy of facilities to treat biomedical waste	Check if there is any gap between Quantity of Biomedical Waste generated per day and quantity of Biomedical Waste treated and disposed in the district? In case of no access to CBWTFs, adequacy of existing disposal of BMW	M/s MPCC(CBWT F), Bijoli, Jhansi is functional	NO	No	UPPCB	-
3	Tracking of BMW	Check whether bar code system is implemented by all HCFs and CBWTFs?	bar code system is in protocol by M/s MPCC(CBWT F), Bijoli, Jhansi in the district	Not Assessed	Nil	UPPCB/ Health Department	Ongoing
4	Awareness and education of healthcare staff	Whether training has been organized For all stakeholders?	Action plan for awareness programs And training to healthcare staff and ULB officials	-	-	ULBs/ UPPCB/ Development Authority/NGOs/ Education Department	Complied
5	Adequacy of funds	Whether adequate funds is allocated	Action plan for	Not Assessed	Nil	Health Department	Ongoing

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
		to Government health care facilities for bio-medical waste management by State Govt.?	ensuring adequate funds to Government health care facilities for bio-medical waste			ent	
6.	Compliance to Rules by HCFs and CBWTFs	Is there any district level mechanism to monitor compliance by Hospitals/ HCFs?	Draw action plan to monitor compliance of HCFs and CBWTFs through SPCBs/PCCs.	Not Assessed	Nil	UPPCB/ Health Department/CMO	Ongoing
7.	District Level Monitoring Committee	Check whether District Level Monitoring Committee has been constitute and meetings are being organized?	Action plan w.r.t periodicity of reviews and follow- up by DLMC. Identify teams in health department to monitor compliance.	Not Assessed	Nil	UPPCB/ Forest Department	Ongoing
8.	Waste water Treatment	Check if HCFs are required to install ETPs for waste water generated.	Action plan by HCFs where applicable for installation of ETPs	Not Assessed	Nil	UPPCB	Ongoing

(v) Hazardous Waste Management

a. Current Status related to Hazardous Waste Management

Details of Data Requirement	Present Status
No of Industries generating HW	13
Quantity of HW in the district	138.52 MT/Annum
(i) Quantity of Incinerable HW	13.1 MT/Annum
(ii) Quantity of land-fillable HW	7.4 MT/Annum
(iii) Quantity of Recyclable / utilizable HW	118.02 MT/Annum
No of captive/common TSDF	Nil

Contaminated Sites or probable contaminated sites	Nil
---	-----

**b. Identification of gaps and action plan:**

S. No	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
1.	Regulation of industries and facilities generating Hazardous Waste	Check whether all hazardous waste industries are identified and authorised by SPCBs/PCCs	SPCB/PCC should ensure that all hazardous waste Industries authorised and a system of safe disposal is in place. are	Not Assessed	Nil	UPPCB	Complied
2.	Establishment	Check district has collection centers for hazardous wastes with linkage to common TSDFs /recyclers	Local authority should ensure that adequate number of collection centers should be established and are linked to Common TSDFs.	Not Assessed	Nil	Local authority / UPPCB	Ongoing
3.	Training of workers involved in handling / recycling / disposal of HW	Identify facilities / Industries engaged in recycling / pre-processing / disposal of hazardous waste in the district.	Action plan to train the workers on safety aspects through Department	Not Assessed	Nil	UPPCB/ Industry	Ongoing
4.	Availability / Linkage with common TSDF or disposal facility	Check if the generators of HW have access to common TSDF in the State?	Action plan to ensure all generators are linked to TSDF / Action plan in case there is no TSDF in the district or State – in such case evaluate existing storage and captive disposal facilities	Not Assessed	Nil	UPPCB/ Industry	Ongoing

S. No	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
			through SPCBs/PCCs				
5.	Contaminated Sites	Are there any sites where soils /sediments/ groundwater contaminated due to dumping of industrial wastes	Action plan contaminated contaminated sites.	Not Assessed	Nil	Department of Environment/ District Administration/ UPPCB	Ongoing

## E-Waste Management

## c. Current Status related to E-Waste Management

Details of Data Requirement	Present Status
Inventory of E-Waste in MT/year	NIL
Collection centers established by ULBs in the District	NO
Collection centers established by Producers or their PROs	NO
No authorized E-Waste recyclers /Dismantler	NO

## d. Identification of gaps and action plan:

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
1	Inventory / Generation of E-Waste / Bulk-waste generators	Check whether SPCB/PCC has completed inventory of E-Waste in the District. Inventory of bulk waste generators	Completion of inventory	Not Assessed	Nil	UPPCB	Complied
2	E-Waste collection points	Availability of E-Waste collection points / call centres / kiosks in villages - Blocks / towns / cities	Identification / registering E-Waste collection centres in association with Producers -	Not Assessed	Nil	Nagar Nigani/ ULBs	Complied

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
			their PROs or Recyclers				
3	Linkage among Stakeholders to channelize E-Waste	Check whether District administration has information on collection centres established by Producers / PROs? Administration should also identify authorised E-Waste recyclers in the district or in State to channelize E-waste collected in District.	Action plan to establish linkages between ULBs / Collection Centres of Producers and PROs / SPCBs / Bulk waste generators / Recyclers / SPCBs / District Administration / Public	Not Assessed	Nil	Nagar Nigam/ ULBs	Ongoing
4	Regulation of Illegal E- Waste recycling / dismantling	Prevalence of informal trading, dismantling, and recycling of E-waste is in District	Action plan in coordination with SPCBs/PC Cs and District Administration to check this activity.	Not Assessed	Nil	District Administration /ULBs/UPP CB/RTO	Ongoing
5	Integration of informalsector	Whether mechanism exists for bringing informal sector into main stream in collection and recycling of E-Waste	Evolve mechanism by involving producers / PROs.	Not Assessed	Nil	UPPCB	Ongoing
6	Awareness and Education	Are there any programs at district level for awareness about E- waste management?	Plan special workshops and awareness campaigns through Producers / PROs	-	-	ULBs/UPPC B/ Development Authority/ NGOs/ Education Depart	Ongoing

S.No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
						ment	

### 3.0 Air Quality Management

#### a. Current Status related to Air Quality Management

Details of Data Requirement	Present Status
Number of Automatic Air Quality monitoring stations in the district. - Operated by SPCB / State Govt / Centralgovt./ PSU agency : - Operated by Industry:	Automatic Air Quality monitoring stations in District Jhansi SPCB-01 (Under Installation) Central Govt.-01 (Railway Station) PSU-01 (M/s Paricha Thermal Power Project, Kanpur Road, Jhansi) Industry - M/s Heidelberg Cement, Kanpur Road, Jhansi)
Number of manual monitoring Station operated by SPCBs	02 manual monitoring stations operated by SPCBs in district Jhansi at Residential Area- Veerangna Nagar and Commercial Area- Manik Chowk.
Name of towns / cities which are failing to comply with national ambient air quality stations	Jhansi City
No of air pollution industries	119
Prominent air polluting sources [Large Industry] / [Small Industry] / [Unpaved Roads] / [Burning of Waste Stubble] / [Brick Kiln] / [Industrial Estate] / [Others] (Multiple selection)	Large Industry-04 Small Industry-06 Construction sites- JDA Brick Kiln-00

#### b. Identification of gaps and action plan:

S. No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
1.	Identification of prominent air polluting sources?	Carry out inventory of air pollution sources in District including hotspots or areas of concern pertaining to air pollution in association with SPCBs/PCCs may	-	Not Assessed	Nil	UPPCB	Regular

S. No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities /corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
2.	Ambient Air quality data?	Plan to get access to available air quality monitoring stations in the District operated by both Public and private agencies.	-	Not Assessed	Nil	UPPCB	Regular
3	Setting up of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station	Like weather station, District may also have ambient air quality monitoring at major urban settlements or populated areas. Action plan may propose setting up at least one CAAQMS in District. Also access data generated by CAAQM stations installed by other pvt/public agencies District authority in association with local office of SPCB/PCC should also ensure that at least one manual Air Quality monitoring station is available in each city [District admin may set-up its own network of CAAQMS or manual stations]	-	Not Assessed	Nil	UPPCB	Complied
4.	District Level Action Plan for Air Pollution.	Action plan should be prepared for both improvement of existing air quality as well as for non-attainment days to national ambient air quality standards. [Measures may include multi sectoral approach for air pollution control such as promotion of public transport, use of green fuels, E-mobility; LPG based cooking, carpeting open	-	Not Assessed	Nil	UPPCB	Covered under NACs

S. No.	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities /corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
		areas/kerbs, etc. Action plans envisaged in NCAP project initiated by MoEF & CC may be referred]					
5.	Hotspots of air pollution in District	hotspot with respect to air pollution (such as stubble burning, illegal waste burning, unauthorized operations, cluster activities, forest fires etc.) should be identified and localized action plan for mitigation of the same should be prepared	-	Not Assessed	Nil	UPPCB	Completed / Regular Process
6.	Awareness on Air Quality	Plan for dissemination of information on local air quality in towns and cities located in District. May consider developing Mobile App / Online portal for dissemination of air quality as well as to take complaints on local air pollution.	-	Not Assessed	Nil	UPPCB	Mobile App/ Online portal for dissemination of air quality complaints is already in process.

#### 4.0 Water Quality Management

##### 4.1 Water Quality Monitoring

###### a. Current Status related to Water Quality Management

Details of Data Requirement	Present Status
Rivers	River - 04 (Berva, Pahuji, Sukhnai, Dhasan)
Length of Coastline (if any)	-
Nalas/ Drains/Creeks meeting Rivers	Municipal Drains
Lakes / Ponds	Lake - 01 (Gadamau Lake) Ponds - 02 (Laxmi Tal, Atiya Tal)

Total Quantity of sewage from towns and cities in District	85.0 MLD
Quantity of industrial waste water	570.0 MLD
Percentage of untreated sewage	100.0 %
Details of bore wells and number of permissions given for extraction of groundwater	04
Groundwater polluted areas if any	Nil
Polluted river stretches if any	NA

**b. Identification of gaps and action plan for water quality monitoring:**

S.No	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
1.	Inventory of water bodies	An environmental monitoring cell shall maintain data of all water bodies (rivers / canals / natural drains / creeks / estuaries / groundwater / ponds / lakes / etc.) in district including its water quality		Not Assessed	Nil	UPPCB/ Jal Nigam/ Irrigation Dep.	Partially Complied/ Ongoing process
2.	Quality of water bodies in the district	Check availability of data on water bodies. Create a district level monitoring cell for periodic monitoring of water bodies for specific parameters in association with SPCBs. It is also necessary to disseminate information pertaining to water quality in the form of hoardings on river banks, official websites, etc.			Nil	UPPCB /Jal Nigam	Ongoing process
3.	Hotspots of water contamination	Check trends of water quality and identify hotspot of surface water and groundwater.			Nil	UPPCB /Jal Nigam	Complied Ongoing process

S.No	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
		Establish a system or separate cell to monitor water quality. Implement action points for restoration of water quality in association with SPCBs and department of environment.					
4.	Protection of river / lake water front	Action plan should be prepared for control river side open defecation, dumping of Solid waste on river banks, for idol immersion etc.		Not Assessed	Nil	Jal Nigam/ irrigation	Ongoing
5.	Inventory of sources of water pollution	Check whether inventory of all sewage and wastewater discharge points into water bodies in the district. Action plan to complete inventory.		Not Assessed	Nil	Jal Nigam/ UPPCB	Ongoing
6.	Oil spill disaster management (for coastal districts)	Whether district oil spill crisis management group and District Oil Spill Disaster Contingency Plan has been created? If	None	None	None	None	None
7.	Protection of flood plains	Check whether there is regulation for protection of flood plain encroachment? Action plan should be prepared for protection flood plain and prevention of encroachment.	Not Assessed	Nil	Nil	Irrigation Department	Ongoing
8.	Rejuvenation	Check availability of groundwater and if required prepare action plan to rejuvenate ground water in selected areas. Action plan should be prepared for Rain water harvesting	211	-	-	UPGWD/ Jal Nigam	MGNREGA & CONCERNED DEPARTMENT

S.No	Action points For village panchayats/ blocks/ municipalities / corporations	Identification of gap	Action plan			Agencies Responsible	Target time for Compliance
			Action Point	Budget Required	Budget Available		
9.	Complaints	Check whether there is any complaint redressing system based on Mobile App / Online. If not, a complaint redressing system based on Mobile App / Online should be available at district level		Nil	Nil	UPPCB	Compl ed.

#### 4.2 Domestic Sewage

##### a. Identification of gaps and action plan for treatment of domestic sewage

Details of Data Requirement	Present Status
No of Class-II towns and above	01
No of Class-I towns and above	00
No of Towns STPs installed	01 (Under trial Commissioning Laxmi Tal – 26.0 MLD)
No of Towns needing STPs	15
No of ULBs having partial underground sewerage network	None
No of towns not having sewerage network	None
Total Quantity of Sewage generated in District from Class II cities and above	45.0 MLD
Quantity of treated sewage flowing into Rivers(directly or indirectly)	Nil
Quantity of untreated or partially treated sewage (directly or indirectly)	45.0 MLD
Quantity of sewage flowing into lakes	45.0 MLD
Total available Treatment Capacity	NIL (Under trial Commissioning Laxmi Tal – 26.0 MLD)

##### b. Identification of gaps and action plan for treatment of domestic sewage:

S.No.	Action points For village	Identification of gap	Action plan	Agencies	Target time
-------	---------------------------	-----------------------	-------------	----------	-------------

	panchayats/ blocks/ municipalities /corporations		Action Point	Budget Required	Budget Availa ble	Respon sible	for Comp liance
1.	Sewage Treatment Plants (STPs)	Check whether Existing capacity of STPs is adequate for treatment of sewage? If no, action plan for additional treatment capacity required should be prepared in association with ULBs / department of UD.		Not Assesse d	Nil	Jal Niga m// ULB s	26 MLD STP under trial
2.	Underground sewerage network	Check available Sewerage network and prepare Action plan for laying of sewerage network in town and cities. The project may be executed through ULBs and Department of UD.		Not Assesse d	Nil	Jal Niga m// ULB s	----- --- KM Sewer age line laid

### 5.0 Industrial waste water management

#### a. Current Status related to Industrial Waste water Management

<b>Number of Red, Orange, Green and White industries in the district</b>	No. of Red industries - 12 No. of Orange industries - 128 No. of Green industries - 35 No. of White industries - 15
<b>No of Industries discharging waste water</b>	09
<b>Total Quantity of industrial waste water generated</b>	6.515 MLD
<b>Quantity of treated industrial waste water discharged into Nalas / Rivers</b>	4.34 MLD
<b>Common Effluent Treatment Facilities</b>	NIL
<b>No of Industries meeting Standards</b>	07
<b>No of Industries not meeting discharge standards</b>	02

#### b. Identification of gaps and action plan for industrial wastewater:

S. No	Action Points	Gaps and Action Plan	Action Plan			Respon sible Agency	Timeline for completi on of action
			Action point	Budget Required	Budget available		

							plan
1.	Compliance to discharge norms by Industries	Identify gaps w.r.t industries not Meeting the standards. Necessary action be initiated through SPCBs against the industries not Meeting standards the	-	Not Assessed	Nil	UPPCB	Immediate
2.	Complaint redressed system	Check if there is any complaint redressing system based on Mobile App/ Online, is available? If not, a complaint redressing system based on MobileApp / Online portal may be prepared at district level.	-	NA	Nil	UPPCB	Immediate

#### 6.0 Mining Activity Management plan

##### a. Current Status related to Mining Activity Management

Details of Data Requirement	Existing Mining operations
Type of Mining Activity	1. River bed sand mining 2. Building stone (Granite mining)
No of licensed Mining operations in the District	70
% Area covered under mining in the District	0.04 %
Area of Sand Mining	1.41 Sq Km
Area of sand Mining	1.41 Sq Km (River bed)

##### b. Identification of gaps and action plan:

S. No.	Action Points	Gaps and Action Plan	Action Plan			Responsible Agency	Timeline for completion of action plan
			Action point	Budget Required	Budget available		
1.	Monitoring of Mining activity	A district level task team may be identified to identify mining activity and to monitor status with respect to environmental compliance		Not Assessed	Nil	District Mining Department	Ongoing Process
2.	Inventory of illegal mining if any mining	Action plan to identify illegal sand and other mining activity in the District. through surveillance, patrolling and enforcement.		Not Assessed	Nil	District Administration/ District Mining Department	Ongoing Process

S. No.	Action Points	Gaps and Action Plan	Action Plan			Responsible Agency	Timeline for completion of action plan
			Action point	Budget Required	Budget available		
		District Level task Force may be constituted for control of illegal mining activity				ent	
3.	Environment compliance by Mining industry	Action plan for periodic verification of compliance to environmental conditions stipulated by SPCBs/PCC, MoEF & CC department of mines etc. SPCBs/PCC may be involved in this activity.		Not Assessed	Nil	District Mining Department	Ongoing Process

### 7.0 Noise Pollution Management plan

#### a. Current Status related to Noise Pollution Management

Details of Data Requirement	Measurable Outcome
No. of noise measuring devices available with various agencies in district	Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Jhansi 03

#### b. Identification of gaps and action plan:

S. No	Action Points	Gaps and Action Plan	Action Plan			Responsible Agency	Timeline for completion of action plan
			Action point	Budget Required	Budget available		
1.	Availability of Sound/ Noise level meters.	Need to check whether concerned agencies that is ULBs, SHOs, Traffic police and SPCB/PCC have noise level meters. District administration may ensure through an action plan that concerned agencies and environmental cell under district administration have adequate number of portable noise level meters.		Not Assessed	Nil	UPPCB/ District Administration/ ULBs/ SHOs/ Traffic Police	Complied
2.	Ambient Noise Level monitoring.	ULBs shall ensure that ambient sound levels comply with notified standards for residential, sensitive zones. An	Task force made	Not Assessed	Nil	UPPCB/ ULBs	Complied

S. No	Action Points	Gaps and Action Plan	Action Plan			Responsible Agency	Timeline for completion of action plan
			Action point	Budget Required	Budget available		
		action. Apart from portable analyzers, fixed ambient noiselevel monitoring stations may be installed in major cities and towns, such stations may be installed by ULBs and SPCB/PCC.					
3.	Signboards in Noise zones	District administration may ensure that adequate number of sign boards installed at sensitive zones in towns / cities in towns and cities. An action plan may be prepared by district authority.	District/ Tehsil level task force made	Not Assessed	Nil	District Administration/ ULBs/Police	Complied
4.	Complaint redressing system	Action plan may envisage implementing a public complaint redressal system for noise pollution. Such application may be used by SHOs, Traffic police ULBs and SPCBs in the district.	District/ Tehsil level task force made		Nil	District Administration/Police Administration/ ULBs/UPP CB	Complied

  
 15/12/2021  
 क्षेत्रीय अधिकारी  
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 झाँसी

  
 Divisional Forest Officer,  
 Jhansi Division, JHANSI  
 Aary (JRF)